

[2024] 9 एस.सी.आर 683: 2024 आई.एन.एस.सी. 687

अरविंद केजरीवाल

बनाम

केंद्रीय जांच ब्यूरो

(आपराधिक अपील सं. 3816/2024)

13 सितंबर 2024

[न्या. श्री सूर्यकांत और न्या. श्री उज्ज्वल भुयान]

विचारार्थ मुद्दा

तत्काल अपील उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 05.08.2024 के निर्णयों और आदेशों के खिलाफ निर्देशित की जाती है जिसमें अपीलार्थी की गिरफ्तारी को अवैध होने की चुनौती के साथ-साथ नियमित जमानत देने के लिए उसके आवेदन को खारिज कर दिया जाता है।

शीर्ष टिप्पण

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- धा. 41क- दंड संहिता, 1860-धा. 477क- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988-धा.7- उच्च न्यायालय ने सी.बी.आई. द्वारा अपीलार्थी की गिरफ्तारी को बरकरार रखा और उसे नियमित जमानत देने से सर्वसम्मति से इनकार कर दिया।

अभिनिर्धारित: [न्या. श्री सूर्यकांत जी के अनुसार]: सी.बी.आई. ने अपने सही अर्थ में दं.प्र.सं. की धारा 41क का अनुपालन किया- अपीलार्थी की गिरफ्तारी किसी भी प्रक्रियात्मक दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है- हालांकि अपीलार्थी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया वैधता और अनुपालन के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करती है, एक विस्तारित अवधि के लिए लंबित मुकदमे के लिए निरंतर कारावास स्थापित कानूनी सिद्धांतों और अपीलार्थी के स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करेगा, जिसका पता संविधान के अनुच्छेद 21 से लगाया जा सकता है- अपीलार्थी जमानत देने के

लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करता है- इसलिए, अपीलार्थी को सी.बी.आई. द्वारा दर्ज प्राथमिकी के संबंध में जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है। [अनु. 29, 36, 40, 47(ii)(क)] - **[न्या. उज्जवल भुयान (सहमत)]**: यह स्पष्ट है कि सी.बी.आई. ने अपीलार्थी को 17.08.2022 से 26.06.2024 तक यानी 22 महीनों से अधिक समय तक गिरफ्तार करने की जरूरत और आवश्यकता महसूस नहीं की- ईडी मामले में विशेष न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी को नियमित जमानत देने के बाद ही सी.बी.आई. ने अपनी मशीनरी को सक्रिय किया और अपीलार्थी को हिरासत में ले लिया- सी.बी.आई. की ओर से इस तरह की कार्रवाई गिरफ्तारी के समय पर गंभीर सवालिया निशान लगाती है। बल्कि गिरफ्तारी पर ही-22 महीनों के लिए, सी.बी.आई. अपीलार्थी को गिरफ्तार नहीं करती है लेकिन ईडी मामले में विशेष न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी को नियमित जमानत देने के बाद, सी.बी.आई. उसकी हिरासत मांगती है- परिस्थितियों में, एक दृश्य यह माना जा सकता है कि सी.बी.आई. द्वारा इस तरह की गिरफ्तारी शायद केवल ईडी मामले में अपीलार्थी को दी गई जमानत को विफल करने के लिए थी- सी.बी.आई. द्वारा अपीलार्थी की देर से गिरफ्तारी अनुचित है और इस तरह की गिरफ्तारी के बाद सी.बी.आई. मामले में अपीलार्थी की निरंतर कैद असमर्थनीय हो गई है- इस प्रकार, अपीलार्थी को तुरंत जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया है। [अनु. 23, 41, 43]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- धा. 41क- दंड संहिता, 1860- धा. 477क- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988- धा.7- अपीलार्थी की चुनौती का प्राथमिक आधार इस तर्क पर आधारित है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया, जैसा कि दं.प्र.सं. की धारा 41क में उल्लिखित है जिसका अनुपालन नहीं किया गया था:

अभिनिर्धारित: दं.प्र.सं. की धारा 41क पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को नोटिस जारी करने से संबंधित है जब उनकी गिरफ्तारी दं.प्र.सं. की धारा 41क के तहत अनुबद्ध नहीं है, परन्तु प्राधिकरण के समक्ष उनकी उपस्थिति अभी भी आवश्यक है- वर्तमान संदर्भ में चूंकि अपीलार्थी ईडी मामले में प्रासंगिक समय पर पहले से ही न्यायिक हिरासत में था इसलिए सीबीआई ने विचारण न्यायालय के समक्ष 24.06.2024 पर दं.प्र.सं. की धारा 41क के तहत अन्य बातों के साथ-साथ उससे पूछताछ और जांच करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया- ऐसी जांच कथित तौर पर आगे की जांच पर सी.बी.आई. द्वारा उजागर किए गए नए तथ्यों और साक्ष्यों के कारण आवश्यक थी- हालांकि, प्रावधान में किसी भी स्पष्ट प्रक्रिया की रूपरेखा नहीं दी गई है जहां विचाराधीन व्यक्ति पहले से ही कैद है- यह याद रखना चाहिए कि एक तरह से न्यायालय एक विचाराधीन कैदी का संरक्षक है जब तक वह न्यायिक हिरासत में है- इसलिए, आगे की जांच के उद्देश्य से अपीलार्थी की शारीरिक उपस्थिति को सुरक्षित करने का संभवतः कोई अन्य तरीका नहीं हो सकता है, सिवाय इसके कि विचारण न्यायालय की पूर्व अनुमति ली जाए। उसकी पूछताछ- वर्तमान मामले में, अपीलार्थी से पूछताछ करने के लिए सी.बी.आई. के आवेदन की विचारण न्यायालय की मंजूरी को धारा 41क की आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के रूप में देखा जाना चाहिए, क्योंकि जेल अधिकारियों द्वारा से एक औपचारिक नोटिस जारी करने से अपीलार्थी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है- इसलिए, इस न्यायालय के विचारशील दृष्टिकोण से सी.बी.आई. ने दं.प्र.सं. की धारा 41क के ढांचे के भीतर शामिल प्रक्रिया का पालन किया। [अनु. 17, 18, 20] [न्या. सूर्यकांत के अनुसार]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- धा. 41क(3)- दंड संहिता, 1860- धा. 477क- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988- धा.7- क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41क(3) का उल्लंघन हुआ था:

अभिनिर्धारित: पहला, यह सामान्य कानून है कि अरविंद केजरीवाल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो में एक मजिस्ट्रेट आदेश से न्यायिक हिरासत को पुलिस हिरासत में बदलने में कोई दुर्गम बाधा नहीं है- इस प्रकार, जांच के उद्देश्यों के लिए पहले से ही हिरासत में रखे गए व्यक्ति को गिरफ्तार करने के मामले में कोई बाधा नहीं है, चाहे वह एक ही अपराध के लिए हो या पूरी तरह से अलग अपराध के लिए- इस प्रकार सी.बी.आई. द्वारा अपीलार्थी की गिरफ्तारी पूरी तरह से स्वीकार्य थी, विचारण न्यायालय के दिनांक 25.06.2024 के आदेश के आलोक में, जिसमें विचारण न्यायालय ने कारणों पर विचार करने के बाद, अपीलार्थी की गिरफ्तारी के लिए सी.बी.आई. के आवेदन को अनुमति दी- दूसरा, धारा 41क(3) इस तरह के कदम की आवश्यकता को उचित ठहराते हुए गिरफ्तारी की अनुमति देती है, बशर्ते कि कारण दर्ज किए गए हों और पुलिस अधिकारी इस बात से संतुष्ट हों कि व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए- इस संदर्भ में, सी.बी.आई. ने अपने आवेदन दिनांक 25.06.2024 में स्पष्ट रूप से कारणों को दर्ज किया कि उन्होंने अपीलार्थी की गिरफ्तारी को क्यों आवश्यक समझा- इन कारणों को दिनांक 26.06.2024 के गिरफ्तारी ज्ञापन में भी संक्षेपित किया गया था। तीसरा, जब दं.प्र.सं. की धा. 41क(1) को धा. 41क(3) के संग सहपठित हो तो किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी पर आत्यन्तिक निषेध नहीं लगता है जिसके खिलाफ सात साल तक के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध करने का उचित संदेह मौजूद है- यह प्रावधान की भाषा से आप ही स्पष्ट है- धा. 41क(3) स्पष्ट रूप से कहता है कि गिरफ्तारी की अनुमति है यदि पुलिस अधिकारी इसे आवश्यक मानता है और ऐसी

गिरफ्तारी के कारणों को विधिवत दर्ज करता है- इस प्रकार यह प्रावधान अनिवार्य रूप से सामान्य नियम के लिए धारा 41क के तहत एक अपवाद बनाता है, जो अनिवार्य करता है कि एक व्यक्ति जिसकी उपस्थिति आवश्यक है, उसे दं.प्र.सं. की धारा 41(1) के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए [अनु. 25, 26, 27, 28] [न्या. सूर्यकांत के अनुसार]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- धा.41(1)(ख)(ii)- दंड संहिता, 1860- धा. 477क- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988- धा.7- यदि दं.प्र.सं. की धा.41(1)(ख)(ii) लागू होती है तो:

अभिनिर्धारित: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(1)(ख)(ii) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस प्रावधान के तहत गिरफ्तारी एक शिकायत या विश्वसनीय जानकारी के आधार पर की जा सकती है कि किसी व्यक्ति ने सात साल तक के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है, जुर्माने के साथ या बिना- हालाँकि, ऐसी गिरफ्तारी उप-खंड (क) से (ड) में उल्लिखित विशिष्ट शर्तों की संतुष्टि के अधीन की जानी चाहिए- उक्त प्रावधान वर्तमान तथ्यात्मक पहलु के उतार-चढ़ाव पर लागू नहीं होता है। गिरफ्तारी जिसके लिए आवश्यक वारंट जारी किया गया था- इस प्रकार गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के लिए गिरफ्तारी के वैध कारणों के अस्तित्व के बारे में राय बनाने का कोई अवसर नहीं था- सक्षम न्यायालय ने ऐसा कार्य करने के बाद पुलिस अधिकारी से न्यायालय के आदेश का अनुपालन न करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। [अनु. 32, 33] [न्या. सूर्यकांत के अनुसार]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- जमानत- भारत का संविधान- अनु. 21- दंड संहिता, 1860- धा. 477क- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988- धा. 7 - क्या अपीलार्थी नियमित जमानत की राहत का हकदार है:

अभिनिर्धारित: 17.08.2022 पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी और तब से, चार पूरक आरोप-पत्रों के साथ आरोप-पत्र दायर किया गया है- चौथा पूरक आरोप-पत्र हाल ही में 29.07.2024 को दायर किया गया था और विचारण न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया है- इसके अलावा, सत्रह अभियुक्त व्यक्तियों का नाम लिया गया है, 224 व्यक्तियों की पहचान गवाहों के रूप में की गई है और व्यापक दस्तावेज, भौतिक और डिजिटल दोनों, प्रस्तुत किए गए हैं- इन कारकों से पता चलता है कि मुकदमे के तत्काल भविष्य में पूरा होने की संभावना नहीं है- हालाँकि अपीलार्थी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया वैधता और अनुपालन के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करती है। एक विस्तारित अवधि के लिए लंबित मुकदमे के लिए निरंतर कारावास स्थापित कानूनी सिद्धांतों और अपीलार्थी के स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करेगा, जिसका पता हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 से लगाया जा सकता है- अपीलार्थी को ईडी मामले में इस न्यायालय द्वारा 10.05.2024 और 12.07.2024 पर अंतरिम जमानत दी गई है, जो तथ्यों के एक ही सेट से उत्पन्न होती है- इसके अलावा, सीबीआई और ईडी दोनों मामलों में कई सह-अभियुक्तों को विचारण न्यायालय, उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा अलग-अलग कार्यवाही में जमानत भी दी गई है- जहां तक अपीलार्थी की आशंका है कि वह मुकदमे के परिणाम को प्रभावित कर रहा है। संबंधित रूप से, ऐसा प्रतीत होता है कि सी.बी.आई. के स्वभाव से संबंधित सभी साक्ष्य और सामग्री पहले से ही उनके कब्जे में है जो अपीलार्थी द्वारा छेड़छाड़ की संभावना को नकारती है- इसलिए, इन परिशमनकारी परिस्थितियों के आलोक में और पूर्वगामी विश्लेषण पर विचार करते हुए यह तय किया जा सकता है कि अपीलार्थी जमानत देने के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करता है। [अनु. 39, 40, 41, 42] [न्या. सूर्यकांत के अनुसार]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- नियमित जमानत- आरोप-पत्र दायर होना- क्या आरोप-पत्र दायर करना उन परिस्थितियों में परिवर्तन है जो नियमित जमानत देने के लिए विचारण न्यायालय को प्रत्यर्पित करने की आवश्यकता होती है:

अभिनिर्धारित: यह सच है कि आम तौर पर विचारण न्यायालय को आरोप-पत्र दायर होने के बाद जमानत की मांग करने वाली प्रार्थना पर विचार करना चाहिए क्योंकि एक जांच प्राधिकरण जो सामग्री प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है, वह निस्संदेह उस न्यायालय को (i) अपराध की गंभीरता; (ii) आवेदक की संलिप्तता की हद; (iii) गवाहों की पृष्ठभूमि और भेद्यता; (iv) के आधार पर मुकदमे के समापन के लिए अनुमानित समय सीमा के संबंध में प्रथमदृष्टया राय बनाने में सहायता करेगा। गवाहों की संख्या; और (v) जमानत देने या अस्वीकार करने का सामाजिक प्रभाव-हालाँकि, ऐसा कोई संकीर्ण सूत्र नहीं हो सकता है जो यह बताता हो कि जमानत पर विचार करने से संबंधित प्रत्येक मामले को आरोप-पत्र दायर करने पर निर्भर होना चाहिए- वास्तव में, प्रत्येक मामले का मूल्यांकन अपने गुणागुण के आधार पर किया जाना चाहिए यह मानते हुए कि जमानत निर्धारित करने के लिए कोई भी एक-आकार सभी सूत्र में फिट नहीं बैठता है- इस प्रकार एक विचाराधीन व्यक्ति को आम तौर पर पहले जमानत के लिए विचारण न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए क्योंकि यह प्रक्रिया न केवल अभियुक्त को प्रारंभिक राहत का अवसर प्रदान करती है बल्कि उच्च न्यायालय को सुनवाई के लिए एक द्वितीयक मार्ग के रूप में काम करने की भी अनुमति देती है। न्यायालय अपर्याप्त कारणों से जमानत देने से इनकार करता है- यदि कोई अभियुक्त पहले विचारण न्यायालय से राहत मांगे बिना सीधे उच्च न्यायालय का रुख करता है तो उच्च न्यायालय के लिए यह आमतौर पर उचित है कि वह उन्हें सीमा पर स्थित विचारण न्यायालय में पुनर्निर्देशित

करे- हालाँकि, यह मुद्दा तत्काल मामले में कमोबेश विद्या सम्बन्धी है क्योंकि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को प्रारंभिक चरण में विचारण न्यायालय में नहीं भेजा था- चूंकि नोटिस जारी किया गया था और पक्षकारों को स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय द्वारा गुणागुण के आधार पर सुना गया था इसलिए इस स्तर पर अपीलार्थी को विचारण न्यायालय में खारिज करना आवश्यक नहीं है, भले ही आरोप-पत्र दायर करना परिस्थितियों में बदलाव हो- इसलिए, अपीलार्थी को जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया। [अनु. 43, 44, 45, 46] [न्या. सूर्यकांत]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- भारत का संविधान- अनु. 20(3)- गिरफ्तारी- गिरफ्तारी के आधार- टालमटोल जवाब का हवाला देते हुए हिरासत:

अभिनिर्धारित: प्रत्यर्थी- सी.बी.आई. निश्चित रूप से गलत है जब वह कहता है कि चूंकि अपीलार्थी अपने जवाब में टालमटोल कर रहा था क्योंकि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा था इसलिए उसे सही तरीके से गिरफ्तार किया गया था और अब उसे हिरासत में रखा जाना चाहिए- यह प्रस्ताव नहीं हो सकता है कि जब कोई आरोपी जांच एजेंसी द्वारा उससे पूछे गए प्रश्नों का जवाब उस तरीके से देता है जिसमें जांच एजेंसी आरोपी का जवाब चाहती है, तो इसका मतलब यह होगा कि आरोपी जांच में सहयोग कर रहा है- इसके अलावा, प्रत्यर्थी गिरफ्तारी और टालमटोल जवाब का हवाला देते हुए निरंतर हिरासत को उचित नहीं ठहरा सकता है- किसी को भी संविधान के अनुच्छेद 20 के तहत मुख्य सिद्धांत को नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। [अनु. 24, 25] [न्या. उज्जवल भुयान]

भारत का संविधान- अनु. 20(3)- किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा:

अभिनिर्धारित: भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) में कहा गया है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को के खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। स्वयं-इस न्यायाधीशालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के लिए ऐसा संरक्षण न केवल उस साक्ष्य के संबंध में उपलब्ध है जो मुकदमे के दौरान अदालत में दिया जा सकता है, बल्कि अभियुक्त के लिए पिछले चरण में भी उपलब्ध है यदि उसके खिलाफ कोई आरोप लगाया गया है जिसके परिणामस्वरूप सामान्य रूप से उसका अभियोजन हो सकता है- इसलिए, संरक्षण उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जिसके खिलाफ औपचारिक आरोप लगाया गया है, हालांकि वास्तविक मुकदमा शुरू नहीं हुआ हो सकता है और यदि ऐसा आरोप किसी अपराध के करने से संबंधित है जिसके परिणामस्वरूप सामान्य रूप से अभियोजन हो सकता है- एक अभियुक्त को अधिकार है चुप रहें; उसे अपने खिलाफ भड़काऊ बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है- अभियुक्त की खामोशी से कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है-यदि यह स्थिति है, तो अपीलार्थी की गिरफ्तारी के लिए दिए गए आधार पूरी तरह से असमर्थनीय होंगे-ऐसे आधारों पर, अपीलार्थी को सी.बी.आई. मामले में आगे हिरासत में रखना न्यायाधीश का उपहास होगा, विशेष रूप से, जब उसे पहले ही पी.एम.एल.ए. के अधिक कड़े प्रावधानों के तहत उन्हीं आरोपों पर जमानत दी जा चुकी है।
[अनु. 25] [न्या. उज्जल भुयान]

जमानत- जमानत न्यायशास्त्र:

अभिनिर्धारित: जमानत न्यायशास्त्र एक सभ्य आपराधिक न्याय प्रणाली का एक पहलू है- एक अभियुक्त तब तक निर्दोष होता है जब तक कि उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए एक सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी साबित नहीं किया जाता है- इसलिए, निर्दोषता का अनुमान है- इसलिए, यह न्यायालय बार-बार इस हितकारी सिद्धांत को दोहराता रहा है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है- इसलिए, सभी स्तरों पर न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुकदमे की ओर ले जाने और उसमें शामिल प्रक्रिया स्वयं सजा न बने- इस न्यायालय ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है और पुनः जोर दिया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पवित्र है- यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने की आवश्यकता के प्रति पर्याप्त रूप से सतर्क रहते हैं जो संविधान के तहत एक पोषित अधिकार है। [अनु. 39, 40] [न्या. उज्जल भुयान]

उद्धृत विधि निर्णय

न्या. सूर्यकांत के निर्णय में:

अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य [2014] 8 एस.सी.आर. 128 : (2014) 8 एस.सी.सी. 273- पर निर्भर।

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम अनुपम जे. कुलकर्णी [1992] 3 एस.सी.आर. 158 : (1992) 3 एस.सी.सी. 141; *गुडीकांती नरसिम्हुलु बनाम सार्वजनिक अभियोजक* [1978] 2 एस.सी.आर. 371 : (1978) 1 एससीसी 240; *भारत संघ बनाम के.ए. नजीब* [2021] 1 एस.सी.आर. 443 : ए.आई.आर. (2021) एस.सी. 712- संदर्भित।

न्या. उज्जल भुयान के निर्णय में:

कनुमुरी रघुरामा कृष्णम राजू बनाम एपी राज्य (2021) 13 एससीसी 822; गुडीकांती नरसिम्हलु बनाम लोक अभियोजक [1978] 2 एस.सी.आर. 371 : (1978) 1 एस.सी.सी. 240-पर निर्भर।

मनीष सिसोदिया बनाम सी.बी.आई. (2024 की आपराधिक अपील सं. 3296/2024, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 09.08.2024 पर निर्णय लिया गया); जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [1994] 3 एस.सी.आर. 661 : (1994) 4 एस.सी.सी. 260; सिद्धार्थ वशिष्ठ उपनाम मनु शर्मा बनाम राज्य (एन.सी.टी. दिल्ली) [2010] 4 एस.सी.आर. 103 : (2010) 6 एस.सी.सी. 1; अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य [2014] 8 एस.सी.आर. 128: (2014) 8 एस.सी.सी. 273; मोहम्मद जुबैर बनाम राज्य (दिल्ली का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) [2022] 18 एससीआर 494: (2022) एससीसी ऑनलाइन एससी 897; अर्नब रंजन गोस्वामी बनाम भारत संघ [2020] 8 एससीआर 222: (2020) 14 एस.सी.सी. 12- से संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973; भारत का संविधान; दंड संहिता, 1860; भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988।

प्रमुख शब्दों की सूची

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 41क; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 41(1)(ख) (ii); भारत के संविधान का अनुच्छेद 20(3); दंड संहिता, 1860 की धारा 477क; भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7; जमानत; नियमित जमानत; गिरफ्तारी; गिरफ्तारी के आधार; प्रक्रियात्मक दुर्बलता; भारत के संविधान का अनुच्छेद 21; आरोप-पत्र; अपराध की गंभीरता; गवाहों की पृष्ठभूमि और भेद्यता; जमानत देने या अस्वीकार करने का सामाजिक प्रभाव; व्यक्तिगत स्वतंत्रता; गिरफ्तारी की आवश्यकता और समय।

मामला उद्भूत हो रहा है

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय: आपराधिक अपील सं.
3816/2024

दिल्ली उच्च न्यायालय नई दिल्ली में ज.आ. सं. 2285/2024 में
निर्णय और आदेश दिनांकित 05.08.2024 से

के साथ

आपराधिक अपील सं. 3817/2024

पक्षकारगण की उपस्थितियाँ

डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी, एन. हरिहरन, विक्रम चौधरी, नरेंद्र
हुड्डा, वरिष्ठ अधिवक्तागण, विवेक जैन, मो.इरशाद, रजत
भारद्वाज, करण शर्मा, सुचित्रा कुंभट, अमित भंडारी, सादिक नूर,
रजत जैन, मोहित सिवाच, कौस्तुभ खन्ना, शैलेश, ऋषिकेश,
इंद्रेश उपाध्याय, सुश्री अरवीन, सुश्री मुस्कान खुराना, अपीलार्थी
के लिए अधिवक्तागण।

सूर्यप्रकाश वी. राजू, अति.महा.सा., मुकेश कुमार मारोरिया, जोहेब
हुसैन, अन्नम वेंकटेश, विवेक गुरनानी, सम्राट गोस्वामी, प्रत्यर्थी
के लिए अधिवक्तागण।

सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

न्या. सूर्यकांत,

अनुमति प्रदानित।

- ये अपीलें दिल्ली उच्च न्यायालय (इसके बाद, 'उच्च न्यायालय') द्वारा
पारित दिनांक 05.08.2024 के निर्णयों और आदेशों के खिलाफ

निर्देशित की जाती हैं, जिसमें अपीलार्थी की गिरफ्तारी को अवैध होने की चुनौती के साथ-साथ नियमित जमानत देने के लिए उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया है। नतीजतन, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी की गिरफ्तारी की वैधता को बरकरार रखा और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद, 'दं.प्र.सं.') की धारा 439 के तहत अपने समवर्ती क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, जिससे नियमित जमानत के लिए उसकी प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया गया।

तथ्य:

3. शुरुआत में, वर्तमान कार्यवाही के उत्पन्न होने के तरीके को संदर्भ प्रदान करने के लिए संक्षिप्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि की ओर ध्यान देना आवश्यक है।
 - 3.1. अपीलार्थी एक लोक प्रतिनिधि है और तीन बार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (इसके बाद 'रा.रा.क्षे.दि.रा.') के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। वह भारत में एक राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं।
 - 3.2. केंद्रीय जांच ब्यूरो (इसके बाद 'सी.बी.आई.')-> प्रत्यर्थी ने भारतीय दंड संहिता, 1806 (इसके बाद 'भा.दं.सं.') की धारा 477क के संग सहपठित धारा 120ख और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (इसके बाद 'पी.सी. अधिनियम') की धारा 7 के तहत विभिन्न व्यक्तियों के खिलाफ दिनांक 17.08.2022 को एक प्राथमिकी सं. आर.सी.0032022ए0053 (इसके बाद 'प्राथमिकी') दर्ज की थी। प्राथमिकी में वर्ष 2021-2022 (इसके बाद 'उत्पाद शुल्क नीति') के लिए उत्पाद शुल्क नीति तैयार करने और लागू करने में रा.रा.क्षे.दि.रा. के भीतर जिम्मेदारी के पदों पर बैठे

व्यक्तियों के बीच अनियमितताओं, जालसाजी, अनुचित लाभ और साजिश का आरोप लगाया गया है। हालाँकि, अपीलार्थी का नाम प्राथमिकी में नहीं था।

- 3.3. प्रवर्तन निदेशालय (इसके बाद 'ईडी') ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की धारा 19 के तहत अपनी शक्ति के कथित प्रयोग में अपीलार्थी को गिरफ्तार किया। इसके बाद, इस न्यायालय ने अपीलार्थी को दिनांक 10.05.2024 पर 01.06.2024 तक अंतरिम जमानत दे दी। इसके बाद अपीलार्थी ने दिनांक 02.06.2024 पर जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। हम यहां यह जोड़ना चाहते हैं कि ईडी मामले में उठाया जाने वाला कानून का सवाल वर्तमान में इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ के समक्ष विचाराधीन है और वर्तमान विवाद के लिए प्रासंगिक नहीं है, और इसके विवरण केवल तथ्यात्मक पहलु में स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए शामिल किए गए हैं।
- 3.4. विशेष न्यायाधीश ने दिनांक 20.06.2024 के आदेश के माध्यम से अपीलार्थी को नियमित जमानत प्रदान की जबकि ईडी मामले में उनकी जमानत इस न्यायालय के समक्ष लंबित थी और निर्णय के लिए सुरक्षित थी। हालांकि, ईडी ने तुरंत उस जमानत आदेश को रद्द करने की मांग की। उच्च न्यायालय ने दिनांक 21.06.2024 पर उस आदेश के संचालन पर रोक लगा दी, जिसके परिणामस्वरूप, अपीलार्थी जेल में है।
- 3.5. सी.बी.आई. ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41क के तहत विशेष न्यायाधीश (पी.सी. अधिनियम) (इसके बाद 'विचारण न्यायालय')

के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसमें अपीलार्थी से पूछताछ करने की मांग की गई, जिसकी अनुमति दी गई। पूछताछ और जांच पूरी करने के बाद, सी.बी.आई. ने दिनांक 25.06.2024 पर एक आवेदन दायर किया जिसमें अपीलार्थी को गिरफ्तार करने और पेशी वारंट जारी करने की अनुमति मांगी गई। इसके बाद, विचारण न्यायालय ने सीबीआई के आवेदन को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया कि आरोपी पहले से ही ईडी मामले में न्यायिक हिरासत में था। इस बीच, उच्च न्यायालय ने ईडी मामले में अपीलार्थी को नियमित जमानत देने के आदेश पर निर्णायक रूप से रोक लगा दी।

3.6. इसके तुरंत बाद, दिनांक 26.06.2024 पर, अपीलार्थी को विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसके बाद उसे तत्काल में गिरफ्तार कर लिया गया। सी.बी.आई. मामला और गिरफ्तारी ज्ञापन की एक प्रति अपीलार्थी के अधिवक्ता को सौंपी गई। उसी दिन, सी.बी.आई. द्वारा दायर एक आवेदन पर, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को पाँच दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। इसके बाद, दिनांक 29.06.2024 पर, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को 12.07.2024 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यह ध्यान दिया जा सकता है कि उस समय जांच चल रही थी।

3.7. विचारण न्यायालय के उपरोक्त दोनों आदेश दिनांकित 26.06.2024 और 29.06.2024 को अपीलार्थी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह घोषणा करने की मांग की गई कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी। 02.07.2024 पर, जब

याचिका की सुनवाई हुई, तो उच्च न्यायालय ने सीबीआई को नोटिस जारी किया और मामले की सुनवाई 17.07.2024 पर निर्धारित की। *मध्यावधि* में, अपीलार्थी ने दं.प्र.सं. की धारा 439 के तहत उच्च न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया, जिसमें विषय प्राथमिकी के संबंध में नियमित जमानत की मांग की गई। 05.07.2024 पर, जब जमानत आवेदन सुनवाई के लिए आया, तो उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किया और अपीलार्थी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली रिट याचिका के साथ 17.07.2024 पर सुनवाई के लिए इसे फिर से अधिसूचित किया।

- 3.8. उच्च न्यायालय ने 17.07.2024 पर मामले की व्यापक सुनवाई की और रिट याचिका में निर्णय सुरक्षित रखा। जमानत आवेदन को दिनांक 29.07.2024 पर आगे की सुनवाई के लिए फिर से अधिसूचित किया गया था, जिसे भी सुरक्षित रखा गया था। अंत में, 05.08.2024 पर, उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश के माध्यम से सी.बी.आई. द्वारा अपीलार्थी की गिरफ्तारी को बरकरार रखा और इस तरह की राहत के लिए विचारण न्यायालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ उसे नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया।
- 3.9. अपीलार्थी की गिरफ्तारी की वैधता के संबंध में, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित व्यापक बिंदुओं पर इसे बरकरार रखा: (i) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(1)(ख) के तहत वर्णित पांच परिस्थितियां केवल वारंट के बिना की गई गिरफ्तारी पर लागू होती हैं और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(2) के संरक्षण में की गई गिरफ्तारी से संबंधित नहीं हैं, जो न्यायालय के आदेश

पर गिरफ्तारी है; (ii) गिरफ्तारी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(2) के अनुसार की गई थी; और (iii) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41क का पालन न करने की याचिका पूरी तरह से अप्रमाणित थी।

3.10. नियमित जमानत के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना के संबंध में, उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित कारणों से इसे अस्वीकार कर दिया है: (i) अभिलेख पर तथ्यों और सामग्री की जटिलता में जमानत के लिए अपनी पात्रता की कथित साजिश करने के लिए अपीलार्थी की भूमिका के आकलन पर अधिक व्यापक निर्धारण की आवश्यकता पैदा कर दी; और (ii) आरोप-पत्र प्रस्तुत किए जाने से पहले जमानत आवेदन दायर किया गया था और चूंकि अब आरोप-पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष दायर किया गया है, इसलिए अपीलार्थी को पहले सत्र न्यायाधीश के न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का निर्देश दिया गया था।

3.11. इस बीच, इस न्यायालय ने दाण्डिक अपील सं. 2493/2024 में पारित आदेश दिनांकित 12.07.2024 के माध्यम से ईडी मामले में अंतरिम जमानत पर अपीलार्थी को रिहा करने का निर्देश दिया। हालाँकि, अपीलार्थी को सी.बी.आई. द्वारा शुरू की गई कार्यवाही के कारण कारावास में रहना पड़ रहा है।

3.12. इसलिए तत्काल अपील सी.बी.आई. द्वारा उनकी गिरफ्तारी की वैधता और औचित्य के संबंध में अपीलार्थी की चुनौतियों और विषय प्राथमिकी के माध्यम से सी.बी.आई. द्वारा शुरू की गई कार्यवाही के संबंध में नियमित जमानत पर रिहाई के लिए उनकी प्रार्थना तक ही सीमित हैं।

पक्षकारगण के प्रतिविरोध

4. अपीलार्थी का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण तर्क दिया कि अपीलार्थी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(1) और 41क में उल्लिखित प्रक्रिया का उल्लंघन करते हुए अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था। इस तरीके से, उन्होंने आरोप लगाया कि अपीलार्थी को बिना कोई कारण बताए गिरफ्तार कर लिया गया था, इस प्रकार इसका उल्लंघन करते हुए: (i) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41क(3) के तहत किसी मामले को 'गैर-गिरफ्तारी' से 'गिरफ्तारी' में बदलने के लिए उचित और वैध कारणों की पूर्व शर्त; और (ii) धारा 41(1)(ख)(ii) के तहत पूरा किए जाने वाले अनिवार्य विवरण, यह संतुष्ट करने के लिए कि गिरफ्तारी किसी भी खंड (क) से (ड) के दायरे में आती है। यह देखते हुए कि इनमें से किसी भी शर्त का पालन नहीं किया गया था, अपीलार्थी की गिरफ्तारी अवैधता से भरी हुई है।
5. डॉ. सिंघवी ने हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि उच्च न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(1)(ख)(2) के गैर-अनुपालन और अपीलार्थी की परिणामी गिरफ्तारी को सही ठहराने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41(2) के प्रावधान को गलत तरीके से लागू करने में गलती की है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि धारा 41(2) केवल गैर-संज्ञेय अपराधों की ओर आकर्षित होती है, जबकि अपीलार्थी की गिरफ्तारी संज्ञेय अपराध के मामले में की गई थी। यह तर्क देकर इसे मजबूत किया गया कि सीबीआई द्वारा रिमांड की मांग करने वाले किसी भी आवेदन में धारा 41(2) को लागू करने की मांग नहीं की गई थी। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि ये

उल्लंघन अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और उसके बाद के कई अन्य निर्णय के खिलाफ थे।

6. डॉ. सिंघवी ने आगे तर्क दिया कि अपीलार्थी को जमानत दी जानी चाहिए क्योंकि यह देखते हुए कि पूरी सामग्री सी.बी.आई. की सुरक्षित हिरासत में है उन्हें निरंतर कैद की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अपीलार्थी को इस न्यायालय द्वारा ई.डी. मामले में अंतरिम और नियमित दोनों तरह की जमानत दी गई है, जहां शर्तें सख्त हैं, इस प्रकार यह दर्शाता है कि वह हमेशा सी.बी.आई. मामले में 'ट्रिपल टेस्ट' द्वारा स्पष्ट सीमा को पूरा करेगा जैसे कि: उनकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, उनके भागने का कोई खतरा नहीं है, और गवाहों या सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का कोई खतरा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उच्च न्यायालय को अपीलार्थी को यह देखते हुए विचारण न्यायालय में नहीं भेजना चाहिए था कि यह दं.प्र.सं. की धारा 439 के तहत समवर्ती क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है। उन्होंने रेखांकित किया कि यह उपाय अपीलार्थी को वापस एक वर्ग में ले जाने के समान था, जिससे न्याय का उपहास हुआ और उनकी जमानत याचिका के निर्णय में अनुचित देरी हुई।
7. अंत में, डॉ. सिंघवी ने हमारा ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि निकट भविष्य में मुकदमे के समाप्त होने की संभावना नहीं है क्योंकि दिनांक 17.08.2022 को प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है जिसके साथ एक आरोप-पत्र और तीन पूरक आरोप-पत्रों को दायर किया गया है, 17 अभियुक्त व्यक्तियों पर दोषारोपण किया गया है, 224 गवाहों और लाखों पृष्ठों में भौतिक और डिजिटल अभिलेख होने का हवाला दिया गया है। इसके अलावा, चौथा पूरक आरोप-पत्र 29.07.2024 पर दायर किया गया था, जिसका संज्ञान हाल ही में लिया गया था, और जिसे

अपीलार्थी को अभी तक प्रदान नहीं किया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि ये कारण मुकदमे के समापन में उचित देरी की उनकी आशंका को निर्विवाद रूप से मान्य करते हैं।

8. *इसके विपरीत*, भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री एस.वी. राजू ने तर्क दिया कि अपीलार्थी की गिरफ्तारी दं.प्र.सं. की धारा 41(1) और 41क में अनुध्यात वैधानिक प्रक्रिया के उचित अनुपालन में की गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि ये प्रावधान किसी भी तरह से किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश नहीं देते हैं, जिसके खिलाफ सात साल तक के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध करने का उचित संदेह है। कानून केवल यह निर्धारित करता है कि जांच प्राधिकरण को ऐसी गिरफ्तारी की आवश्यकता से संतुष्ट होना चाहिए, जिसे वर्तमान मामले में विधिवत पूरा किया गया है। वह जोर देते हुए आग्रह करते हैं कि धारा 41(1)(ख)(2) में निर्धारित पूर्व-आवश्यकताओं को पूरा किया गया है क्योंकि सी.बी.आई. ने अभियुक्त व्यक्तियों के बीच रची गई एक बड़ी साजिश का पता लगाने और गलत तरीके से अर्जित आय के धन के निशान को स्थापित करने के लिए अपीलार्थी से हिरासत में पूछताछ करना अनिवार्य समझा है।
9. श्री राजू ने तर्क दिया कि दं.प्र.सं. की धारा 41क के तहत नोटिस की आवश्यकता का उद्देश्य केवल आरोपी को जांच प्राधिकरण के समक्ष पेश होने के लिए मजबूर करना है। चूंकि तत्काल मामले में आरोपी पहले से ही न्यायिक हिरासत में था, इसलिए इस तरह का नोटिस एक खाली औपचारिकता होती। उन्होंने तर्क दिया कि सी.बी.आई. ने विचारण न्यायालय से अनुमति प्राप्त की थी जिसकी हिरासत में अपीलार्थी था। उन्होंने दं.प्र.सं. की धारा 41क(4) का संदर्भ देकर अपने तर्क का समर्थन किया, जो उन स्थितियों के लिए प्रक्रिया को रेखांकित करता है जहां

एक आरोपी धारा 41क के नोटिस का पालन करने में विफल रहता है। श्री राजू ने कहा कि अपीलार्थी के कारावास को देखते हुए धारा 41क(4) के तहत परिकल्पित परिस्थिति लागू नहीं होती है और इसलिए इसके तहत नोटिस की आवश्यकता जरूरी नहीं थी। दं.प्र.सं की धारा 41(2) के गलत आवेदन पर संदेह के संबंध में उन्होंने समझाया कि उच्च न्यायालय ने अनजाने में प्रावधान को गलत तरीके से लिखा था और इसके बजाय इसे दं.प्र.सं की धारा 41(1)(ख)(ii) के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

10. जमानत के लिए अपीलार्थी की प्रार्थना का कड़ा विरोध करते हुए श्री राजू ने प्रतिविरोध दिया कि गवाह को डराने-धमकाने की संभावना है, अगर अपीलार्थी को जमानत पर रिहा किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप मुकदमे की कार्यवाही गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। श्री राजू ने पंजाब के मैसर्स महादेव लिकर के संदर्भ में हुए कुछ उदाहरणों की ओर भी इशारा किया, इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा लगाए गए प्रभाव की ओर इशारा किया, जिसका राजनीतिक संगठन एक से अधिक राज्यों पर शासन कर रहा है।
11. श्री राजू ने अपीलार्थी को विचारण न्यायालय में भेजने के लिए अपनी प्रारंभिक आपत्ति की सहायता के लिए जोरदार दबाव डाला, जिसे उन्होंने जोर देकर कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत समवर्ती क्षेत्राधिकार के बावजूद भी सीधे उच्च न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटाना चाहिए था। उन्होंने आग्रह किया कि अपीलार्थी को केवल सत्ता की स्थिति या उनके राजनीतिक कद के कारण कोई विशेष सम्मान नहीं दिया जाना चाहिए। श्री राजू ने जोर देकर कहा कि अपीलार्थी किसी भी अन्य विचाराधीन व्यक्ति की तरह व्यवहार किए जाने का हकदार है और इसलिए उसे सबसे पहले विचारण न्यायालय का रुख करना चाहिए,

इस बात पर जोर देते हुए कि उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार विवेकाधीन है और इसका उपयोग केवल दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों में किया जाना चाहिए।

12. विद्वान् अति.महा.सा. के अनुसार, उच्च न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार करने में सही था क्योंकि अपीलार्थी इस तरह की विशेष जांच के लिए एक असाधारण मामला बनाने में विफल रहा था। इसके अलावा, श्री राजू ने एक महत्वपूर्ण विसंगति पर प्रकाश डाला: जमानत के लिए आवेदन करते समय आरोप-पत्र को जोड़ने में अपीलार्थी की विफलता। उन्होंने तर्क दिया कि जमानत मांगने का एक महत्वपूर्ण पहलू अभिलेख पर सामग्री के आधार पर यह प्रदर्शित करना है कि आरोपी के खिलाफ कोई प्रथमदृष्टया मामला मौजूद नहीं है। इन निरीक्षणों के कारण श्री राजू ने जोर देकर कहा कि अपीलार्थी को पहले विचारण न्यायालय से राहत लेनी चाहिए।
13. अंत में, श्री राजू ने प्रस्तुत किया कि चूंकि अपीलार्थी द्वारा जमानत बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के बाद आरोप-पत्र और कुछ पूरक आरोप-पत्र दायर किए गए हैं इसलिए यह परिस्थितियों में एक महत्वपूर्ण बदलाव है और इसलिए, इसके आलोक में भी अपीलार्थी को विचारण न्यायालय में भेजा जाना चाहिए। इस तरह के निर्वासन से उसके जमानत दावे पर सी.बी.आई. द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य की प्रकृति और अपीलार्थी की संलिप्तता, यदि कोई हो, के संदर्भ में विचार करने में सहायता मिलेगी, जो ऐसे साक्ष्य से स्पष्ट हो सकता है।

मुद्दे

14. अभिलेख पर मौजूद सामग्री और पक्षों द्वारा की गई व्यापक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद निम्नलिखित प्रश्न हमारे विचार-विमर्श के लिए आते हैं:

- i. क्या अपीलार्थी की गिरफ्तारी में कोई अवैधता थी? यदि ऐसा है, तो क्या अपीलार्थी औपचारिक जमानत आवेदन की अनुपस्थिति में भी तुरंत रिहा होने का हकदार है?
- ii. क्या अपीलार्थी, अपनी विधिसम्मत गिरफ्तारी की परवाह किए बिना नियमित जमानत पर रिहा होने का हकदार है?
- iii. क्या आरोप-पत्र दायर करना ऐसी निर्णायक प्रकृति की परिस्थितियों में परिवर्तन है कि एक अभियुक्त नियमित जमानत देने के लिए मामला बनाने के लिए विचारण न्यायालय में भेजे जाने के लिए उत्तरदायी होगा?

विश्लेषण

15. हमने अपीलार्थी की गिरफ्तारी में परिणत होने वाली घटनाओं के क्रम के साथ-साथ प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर भी ध्यान दिया है। निर्णय के लिए लंबित मुद्दों की प्रकृति को देखते हुए, उन्हें स्वतंत्र रूप से संबोधित करना और एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचना आवश्यक है।

क. क्या अपीलार्थी को गिरफ्तार करने की प्रक्रिया अवैध थी?

16. अपीलार्थी की चुनौती का प्राथमिक आधार इस प्रतिविरोध पर आधारित है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया जैसा कि दं.प्र.सं. की धारा 41(1)(ख)(ii) और 41क के तहत उल्लिखित है, का पालन नहीं किया गया था। अपीलार्थी की गिरफ्तारी की वैधता का विश्लेषण करने के उद्देश्य से, दो प्रमुख पहलू हैं जिनकी हम अलग से जांच करने का प्रस्ताव करते हैं,

अर्थात्: (i) क्या वर्तमान तथ्यात्मक परिदृश्य के संदर्भ में दं.प्र.सं. की धारा 41क के तहत नोटिस जारी करने का विधिवत पालन किया गया था; और (ii) क्या दं.प्र.सं. की धारा 41(1)(ख)(ii) इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू होती है।

i. दं.प्र.सं. की धारा 41क का अनुपालन

17. दं.प्र.सं. की धारा 41क एक पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को नोटिस जारी करने से संबंधित है जब उनकी गिरफ्तारी दं.प्र.सं. की धारा 41(1) के तहत अनुबद्ध नहीं है लेकिन जांच प्राधिकरण के समक्ष उनकी उपस्थिति अभी भी आवश्यक है। इसलिए धारा 41क(1) के तहत नोटिस जारी करना आसन्न होगा, जब कोई शिकायत की जाती है, विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है या व्यक्ति के संज्ञेय अपराध करने का उचित संदेह होता है। इसके बाद धारा 41क के खंड (2) में मांग की गई है कि जिस व्यक्ति को ऐसा नोटिस जारी किया गया है, वह इसका पालन करे। धारा 41क(3) में कहा गया है कि एक व्यक्ति जो इस तरह के नोटिस का पालन करता है और उसका पालन करना जारी रखता है, उसे उल्लिखित अपराध के संबंध में तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए, जब तक कि पुलिस अधिकारी, दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, उन्हें गिरफ्तार करना आवश्यक न समझे। अंत में, धारा 41क(4) में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति नोटिस का पालन करने में विफल रहता है या अपनी पहचान बताने से इनकार करता है, तो पुलिस किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश के अधीन, नोटिस में दर्ज अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है।
18. प्रावधान की भाषा की स्पष्ट प्रकृति को देखते हुए अपीलार्थी की गिरफ्तारी के आसपास की परिस्थितियों की जांच करना महत्वपूर्ण है

ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या धारा 41क के भीतर निहित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों का उचित अनुपालन किया गया था। वर्तमान संदर्भ में, चूंकि अपीलार्थी ईडी मामले में प्रासंगिक समय पर पहले से ही न्यायिक हिरासत में था इसलिए सीबीआई ने अन्य बातों के साथ-साथ उससे पूछताछ और परिक्षण के लिए दं.प्र.सं. की धारा 41क के तहत विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया। आगे की जाँच पर सी.बी.आई. द्वारा उजागर किए गए नए तथ्यों और सबूतों के कारण इस तरह की जाँच कथित रूप से आवश्यक थी। सी.बी.आई. ने इस आवेदन के माध्यम से उन कारणों को रेखांकित किया जिससे इस प्रकार की जाँच को बढ़ावा दिया जिसमें उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं और भारत में थोक और खुदरा शराब व्यापार के एकाधिकार और गुटबंदी को सुविधाजनक बनाना शामिल है।

19. आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि आगे की जांच में, कई गवाहों के बयानों, आपत्तिजनक दस्तावेजों और आरोप-पत्र में नामित अभियुक्त व्यक्तियों के बीच आदान-प्रदान किए गए संदेशों से पता चलता है कि अपीलार्थी आबकारी नीति से संबंधित आपराधिक साजिश में एक महत्वपूर्ण घटक था। यह दावा किया गया था कि अपीलार्थी ने अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के साथ मिलकर थोक विक्रेताओं के लाभ मार्जिन को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने के लिए नीति में बदलाव किया जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण अप्रत्याशित लाभ हुआ। अंततः इन लाभों का उपयोग अपीलार्थी के राजनीतिक दल द्वारा गोवा विधानसभा चुनावों के दौरान चुनाव संबंधी खर्चों के लिए किया गया था। आवेदन में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि अपीलार्थी की संलिप्तता की ओर इशारा करते हुए इन नए तथ्यों के उभरने के लिए आगे की

जांच की आवश्यकता है, क्योंकि अपराध में उसकी संलिप्तता का उचित संदेह था। इन कारणों पर विचार करने के बाद, विचारण न्यायालय ने अपने दिनांक 24.06.2024 के आदेश द्वारा अपीलार्थी से पूछताछ करने की मांग करने वाले सीबीआई के आवेदन को मंजूरी दे दी।

20. इस मोड़ पर, विशेष रूप से नोटिस जारी करने या उसके अभाव के संबंध में, दं.प्र.सं. की धारा 41क के साथ सी.बी.आई. के गैर-अनुपालन के संबंध में अपीलार्थी के आरोपों को संबोधित करना उचित है। इस संबंध में, प्रावधान की भाषा और इरादे द्वारा संदर्भ लेना महत्वपूर्ण है, जिसका उद्देश्य नोटिस जारी करके किसी व्यक्ति की उपस्थिति सुनिश्चित करना है। हालांकि, इस प्रावधान में किसी भी स्पष्ट प्रक्रिया की रूपरेखा नहीं दी गई है, जहां विचाराधीन व्यक्ति पहले से ही जेल में है। यह याद रखना चाहिए कि न्यायालय, एक तरह से, एक विचाराधीन कैदी का संरक्षक होता है जब वह न्यायिक हिरासत में होता है। ऐसा होने पर, आगे की जांच के उद्देश्य से अपीलार्थी की शारीरिक उपस्थिति को सुरक्षित करने का संभवतः कोई अन्य तरीका नहीं हो सकता है, सिवाय उसके कि उससे पूछताछ के लिए विचारण न्यायालय से पूर्व अनुमति ली जाए।
21. वास्तव में, अपीलार्थी द्वारा जो तर्क दिया गया था, उसे देखते हुए, यह स्पष्ट किया जाना चाहिए कि धारा 41क पहले से ही न्यायिक हिरासत में किसी व्यक्ति को नोटिस जारी करने की परिकल्पना या आदेश नहीं देती है। चूंकि ऐसा व्यक्ति पहले से ही न्यायालय के अधिकार में है, इसलिए उन्हें किसी अन्य मामले में जांच में शामिल करने के किसी भी अनुरोध को सक्षम न्यायालय द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। इस प्रकार सी.बी.आई. ने उस प्रक्रिया का पालन किया है जिस पर दं.प्र.सं. की धारा 41क के इरादे और उद्देश्य के संदर्भ में विचार किया गया है।

22. इसके विपरीत, यदि अपीलार्थी के तर्क को उसके तार्किक निष्कर्ष पर ले जाया जाता है तो इसके हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जेल अधीक्षक द्वारा जेल में एक विचाराधीन कैदी को न्यायालय को सूचित किए बिना नोटिस देना जिसने उन्हें न्यायिक हिरासत में रखा है, प्रभावी रूप से पुलिस को न्यायालय की जानकारी के बिना एक नए मामले में ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सक्षम बनाएगा। इसके परिणामस्वरूप पुलिस अधिकार का दुरुपयोग हो सकता है और विचाराधीन कैदियों को दिए गए संवैधानिक और प्रक्रियात्मक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। वैकल्पिक रूप से, जब न्यायालय की अनुमति मांगी जाती है तो यह आकलन करने के लिए न्यायिक जांच के आवेदन को सुनिश्चित करता है कि क्या हिरासत में पूछताछ आवश्यक है और यदि है, तो कितनी अवधि के लिए।
23. वर्तमान मामले में, अपीलार्थी से पूछताछ करने के लिए सी.बी.आई. के आवेदन की विचारण न्यायालय की मंजूरी को धारा 41क की आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के रूप में देखा जाना चाहिए क्योंकि जेल अधिकारियों द्वारा औपचारिक नोटिस जारी करने से अपीलार्थी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता। इस प्रकार, यह हमारा सुविचारित विचार है कि सी.बी.आई. ने दं.प्र.सं. की धारा 41क के दायरे के भीतर शामिल प्रक्रिया का पालन किया।
24. यह कहा जा रहा है कि अब हम दं.प्र.सं. की धारा 41क(3) के कथित उल्लंघन से संबंधित विशिष्ट विवाद पर ध्यान दें। यह प्रावधान दोहराने के जोखिम पर स्पष्ट करता है कि धारा 41क के तहत जारी नोटिस का पालन करने वाले व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि दर्ज किए गए कारणों के लिए पुलिस अधिकारी का मानना है कि गिरफ्तारी आवश्यक है। इस प्रावधान से महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह है

कि सूचना का अनुपालन आम तौर पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से बचाता है फिर भी पुलिस गिरफ्तारी के साथ आगे बढ़ सकती है यदि वे निष्कर्ष निकालते हैं कि यह आवश्यक है और ऐसा करने के लिए विधिवत दर्ज कारण प्रदान करते हैं।

25. वर्तमान मामले में, पूछताछ के बाद, सी. बी. आई. ने 25.06.2024 पर विचारण न्यायालय में एक और आवेदन दायर किया जिसमें अपीलार्थी को गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी गई। सी.बी.आई. ने गिरफ्तारी को इस आधार पर उचित ठहराया कि अपीलार्थी ने पूछताछ के दौरान कथित रूप से टालमटोल जवाब दिया था और सबूतों के साथ उसका सामना करने और आबकारी नीति के कार्यान्वयन में आरोपी व्यक्तियों से जुड़ी एक कथित बड़ी साजिश का खुलासा करने के लिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक थी। विचारण न्यायालय ने इन कारणों पर विचार करने के बाद अपीलार्थी की गिरफ्तारी के लिए सी.बी.आई. के आवेदन को स्वीकार कर लिया और उसी दिन पेशी का वारंट जारी कर दिया।
26. इस संबंध में, हमारा विश्लेषण यह आकलन करने तक सीमित है कि क्या धारा 41क(3) का उल्लंघन किया गया था जिससे गिरफ्तारी को अवैध बना दिया गया है। *सबसे पहले*, यह सामान्य कानून है कि मजिस्ट्रेट के आदेश से न्यायिक हिरासत को पुलिस हिरासत में बदलने में कोई दुर्गम बाधा नहीं है। इस प्रकार, जाँच के उद्देश्यों के लिए पहले से ही हिरासत में रखे गए व्यक्ति को गिरफ्तार करने के मामले में कोई बाधा नहीं है चाहे वह एक ही अपराध के लिए हो या पूरी तरह से अलग अपराध के लिए। इस प्रकार विचारण न्यायालय के दिनांक 25.06.2024 के आदेश के आलोक में सी.बी.आई. द्वारा अपीलार्थी की गिरफ्तारी पूरी तरह से स्वीकार्य थी।

27. दूसरा, धारा 41क(3) गिरफ्तारी की अनुमति देती है बशर्ते कि इस तरह के कदम की आवश्यकता को उचित ठहराते हुए कारण दर्ज किए गए हों और पुलिस अधिकारी संतुष्ट हों कि व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में, हम पहले ही नोट कर चुके हैं कि सी.बी.आई. ने अपने आवेदन दिनांक 25.06.2024 में स्पष्ट रूप से कारण दर्ज किए हैं कि उन्होंने अपीलार्थी की गिरफ्तारी को क्यों आवश्यक समझा। इन कारणों को दिनांक 26.06.2024 के गिरफ्तारी ज्ञापन में भी संक्षेपित किया गया था। यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि हमारा वर्तमान विश्लेषण यह सत्यापित करने तक सीमित है कि क्या सी.बी.आई. ने पर्याप्त कारणों की रिकॉर्डिंग सहित सही प्रक्रिया का पालन किया है। यह मुद्दा हमें आगे नहीं रोकेगा क्योंकि अपीलार्थी की गिरफ्तारी की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके कारण सी.बी.आई. के आवेदन दिनांकित 25.06.2024 से स्पष्ट हैं।
28. तीसरा, जब दं.प्र.सं. की धारा 41क(1) को धारा 41क(3) के साथ पढ़ा जाता है तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी पर आत्यन्तिक निषेध नहीं लगाया जाता है जिसके खिलाफ सात साल तक के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध करने का उचित संदेह मौजूद है। यह प्रावधान की भाषा से ही स्पष्ट है। धारा 41क(3) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि पुलिस अधिकारी इसे आवश्यक मानता है और इस तरह की गिरफ्तारी के कारणों को विधिवत दर्ज करता है तो गिरफ्तारी की अनुमति है। इस प्रकार यह प्रावधान अनिवार्य रूप से धारा 41क के तहत सामान्य नियम के लिए एक अपवाद बनाता है जो यह आदेश देता है कि एक व्यक्ति जिसकी उपस्थिति आवश्यक है उसे दं.प्र.सं. की धारा 41(1) के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए।

29. इसलिए, इन विचारों को ध्यान में रखते हुए हम अपीलार्थी के इस तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं कि सी.बी.आई. अपने सही अर्थ में दं.प्र.सं. की धारा 41क का पालन करने में विफल रही।

ii. क्या दं.प्र.सं. की धारा 41(1)(ख)(ii) लागू होती है?

30. शुरुआत में, यह स्पष्ट करना अनिवार्य है कि हमारा विश्लेषण धारा 41(1)(ख)(2) के तहत उल्लिखित प्रक्रिया तक ही सीमित रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि धारा 41(1), अपनी संपूर्णता में, गिरफ्तारी की प्रक्रिया के संबंध में कई स्थितियों और जटिलताओं को संबोधित करती है जो वर्तमान मामले की जटिलताओं पर सीधे लागू नहीं हो सकती हैं।
31. इस खंड में, धारा 41(1)(ख) की भाषा इस प्रकार अभिनिर्धारित करती है:

“41. पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी।-

(1) कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है -

(ख) जिसके विरुद्ध इस बारे में एक उचित परिवाद किया जा चुका है या विश्वसनीय इतिला प्राप्त हो चुकी है या उचित संदेह विद्यमान है कि उसने कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष से कम की हो सकेगी या जिसकी अवधि सात वर्ष की हो सकेगी, चाहे वह जुर्माने सहित हो अथवा जुर्माने के बिना, दंडनीय संज्ञेय अपराध किया है, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी कर दी जाती हैं, अर्थात्:-

(i) पुलिस अधिकारी के पास ऐसे परिवाद, इतिला या संदेह के आधार पर यह विश्वास करने का कारण है कि उस व्यक्ति ने उक्त अपराध किया है;

(ii) पुलिस अधिकारी का यह समाधान हो गया है कि ऐसी गिरफ्तारी:-

(क) ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से निवारित करने के लिए; या

(ख) अपराध के समुचित अन्वेषण के लिए; या

(ग) ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध के साक्ष्य को गायब करने या ऐसे साक्ष्य के साथ किसी भी रीति में छेड़छाड़ करने से निवारित करने के लिए; या

(घ) उस व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित है, अप्रेरित करने, उसे धमकी देने या उससे वायदा करने से जिससे उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके, निवारित करने के लिए; या

(ङ) जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता है, न्यायालय में उसकी उपस्थिति, जब भी अपेक्षित हो, सुनिश्चित नहीं की जा सकती,

परन्तु कोई पुलिस अधिकारी, ऐसे सभी मामलों में, जहां किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी इस उपधारा के उपबंधों के अधीन अपेक्षित नहीं है, गिरफ्तारी न करने के कारणों को लेखबद्ध करेगा।

.....”

32. दं.प्र.सं. की धारा 41(1)(ख)(2) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इस प्रावधान के तहत गिरफ्तारी किसी शिकायत या विश्वसनीय जानकारी के आधार पर की जा सकती है कि किसी व्यक्ति ने सात साल तक के कारावास, जुर्माने के साथ या उसके बिना दंडनीय संज्ञेय अपराध किया

है। हालाँकि, ऐसी गिरफ्तारी उपखंड (क) से (ड) में उल्लिखित विशिष्ट शर्तों की संतुष्टि के अधीन की जानी चाहिए। इस न्यायालय द्वारा अर्नेश कुमार (उपर्युक्त) मामले में धारा 41(1)(ख)(ii) की कठोरताओं की व्यापक रूप से जांच की गई है जहां यह देखा गया था कि:

“7.1. उपरोक्त प्रावधान के सामान्य अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि सात साल से कम की अवधि के कारावास या जुर्माने के साथ या बिना जुर्माने के सात साल तक के कारावास से दंडनीय अपराध के आरोपी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी द्वारा केवल इस संतुष्टि पर गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति ने उपरोक्त दंडनीय अपराध किया था। गिरफ्तारी से पहले ऐसे मामलों में पुलिस अधिकारी को आगे और संतुष्ट होना पड़ता है कि ऐसी गिरफ्तारी ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से रोकने के लिए आवश्यक है; या मामले की उचित जांच के लिए; या आरोपी को अपराध के साक्ष्य को गायब करने से रोकने के लिए; या किसी भी तरह से ऐसे साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने के लिए; या ऐसे व्यक्ति को किसी गवाह को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा करने से रोकने के लिए ताकि उसे न्यायालय या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके; या जब तक कि ऐसे आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तब तक जब भी आवश्यकता हो न्यायालय में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। ये निष्कर्ष हैं, जिन पर तथ्यों के आधार पर पहुंचा जा सकता है।

7.2. कानून पुलिस अधिकारी को तथ्यों को बताने और उन कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के लिए अनिवार्य करता है जिनके कारण वह इस तरह की गिरफ्तारी करते समय उपरोक्त किसी भी प्रावधान के दायरे में आने वाले

निष्कर्ष पर पहुंचा। विधि में आगे आवश्यकता है कि पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी न करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करें।

7.3. मुख्य व महत्वपूर्ण रूप से, गिरफ्तारी से पहले पुलिसकर्मी को खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि गिरफ्तारी क्यों? क्या वास्तव में इसकी आवश्यकता है? यह किस उद्देश्य की पूर्ति करेगा? यह किस उद्देश्य को प्राप्त करेगा? इन प्रश्नों को संबोधित करने और ऊपर उल्लिखित एक या अन्य शर्तों को पूरा करने के बाद ही गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता है। जुर्माने में, गिरफ्तारी से पहले पुलिस अधिकारियों के पास जानकारी और सामग्री के आधार पर विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि आरोपी ने अपराध किया है। इसके अलावा, पुलिस अधिकारी को आगे यह संतुष्ट करना होगा कि गिरफ्तारी दं.प्र.सं. की धारा 41 के खंड (1) के उपखंड (क) से (ड) द्वारा परिकल्पित एक या अधिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक है।”

33. इस व्याख्या को देखते हुए, हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा 41(1)(ख) के उपदेशों के संबंध में अपीलार्थी द्वारा की गई दलीलें सही हैं, यह प्रावधान वर्तमान तथ्यात्मक पहलु के उतार-चढ़ाव पर लागू नहीं होता है। यह एक ऐसा मामला है जिसमें न्यायालय ने न्यायिक मस्तिष्क के आवेदन पर अपीलार्थी की गिरफ्तारी को अपनी मंजूरी दे दी जिसके लिए आवश्यक वारंट जारी किया गया था। इस प्रकार गिरफ्तार करने वाले पुलिस अधिकारी के लिए गिरफ्तारी के वैध कारणों के अस्तित्व के बारे में राय बनाने का कोई अवसर नहीं था। सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा कार्य करने के बाद पुलिस अधिकारी से न्यायालय के आदेश पर विचार करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

34. इसके अलावा, धारा 41(1) इस अभिव्यक्ति के साथ शुरू होती है कि 'कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना या वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है'। इसका अनिवार्य रूप से यह अर्थ है कि जहां एक मजिस्ट्रेट ने एक आदेश जारी किया है, पुलिस अधिकारी एक राय बनाने के अपने वैधानिक दायित्व से मुक्त हो जाता है। नतीजतन, यह स्पष्ट हो जाता है कि दं.प्र.सं. की धारा 41(1)(ख)(ii) में निहित चर और शर्तें वर्तमान संदर्भ में लागू नहीं होंगी क्योंकि विचारण न्यायालय ने पहले आदेश दिया था।
35. अंत में, हम विद्वान अति.महा.सा. द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण से सहमत हैं कि उच्च न्यायालय के निर्णय में दं.प्र.सं. की धारा 41(2) का संदर्भ अनजाने में शामिल किया गया प्रतीत होता है और यह एक मुद्रण संबंधी त्रुटि है। दोनों पक्षों ने अपनी दलीलों के दौरान ठीक ही स्पष्ट किया है कि धारा 41(2) जो गैर-संज्ञेय अपराधों में गिरफ्तारी की प्रक्रिया से संबंधित है, यहाँ मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होती है।
36. दं.प्र.सं. की धारा 41क के साथ सी.बी.आई. के अनुपालन और दं.प्र.सं. की धारा 41(1)(ख)(2) के लागू न होने पर विचार करने के बाद हमारा विचार है कि अपीलार्थी की गिरफ्तारी किसी भी प्रक्रियात्मक दुर्बलता से ग्रस्त नहीं है। नतीजतन, इन प्रावधानों के गैर-अनुपालन के संबंध में याचिका, अस्वीकृति के योग्य है। तदनुसार आदेश दिया।

ख. क्या अपीलार्थी नियमित जमानत की राहत का हकदार है?

37. अपीलार्थी को जमानत देने के प्रश्न पर ध्यान देते हुए यह देखा जा सकता है कि उच्च न्यायालय ने देखा है कि जटिलता और तथ्यों के जाल और अभिलेख पर सामग्री के कारण कथित साजिश में अपीलार्थी

की भूमिका को व्यापक रूप से निर्धारित करना और उसके बाद ही जमानत के लिए उसकी पात्रता का निर्णय करना महत्वपूर्ण था। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि विचारण न्यायालय के समक्ष आरोप-पत्र दायर किए जाने पर विचार करते हुए अपीलार्थी को पहले उस न्यायालय से राहत लेनी चाहिए।

38. भारत में जमानत न्यायशास्त्र का विकास इस बात को रेखांकित करता है कि 'जमानत का मुद्दा स्वतंत्रता, न्याय, सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक खजाने के बोझ का है, जिनमें से सभी इस बात पर जोर देते हैं कि जमानत का एक विकसित न्यायशास्त्र सामाजिक रूप से संवेदनशील न्यायिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है'। इस सिद्धांत का विस्तार यह स्थापित करने के लिए किया गया है कि किसी अभियुक्त व्यक्ति को लंबे समय तक कैद में रखना, मुकदमा लंबित रहना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से अन्यायपूर्ण वंचितता के बराबर है। **भारत संघ बनाम के.ए. नजीब** में इस न्यायालय ने उस अधिनियम की धारा 43-घ(5) में निहित वैधानिक प्रतिबंध के बावजूद गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (इसके बाद 'यू.ए.पी.ए.') के प्रावधानों के तहत एक मामले में भी इस सिद्धांत का विस्तार किया है जिसमें कहा गया है कि जमानत देने के खिलाफ विधायी नीति विफल रहेगी जहां उचित समय के भीतर मुकदमा पूरा होने की कोई संभावना नहीं है। न्यायालय हमेशा एक विचाराधीन व्यक्ति के प्रति नरम दृष्टिकोण के साथ 'स्वतंत्रता' की ओर झुकेंगी सिवाय इसके कि जब ऐसे व्यक्ति की रिहाई से सामाजिक आकांक्षाओं के टूटने की संभावना हो तब मुकदमे को पटरी से उतारें या आपराधिक न्याय प्रणाली को विकृत करें जो कानून के शासन का अभिन्न अंग है।

39. इन कार्यवाहियों के दौरान यह प्रस्तुत किया गया था कि प्राथमिकी 17.08.2022 पर दर्ज की गई थी और तब से चार पूरक आरोप-पत्रों के साथ आरोप-पत्र दायर किया गया है। चौथा पूरक आरोप-पत्र हाल ही में 29.07.2024 के रूप में दायर किया गया था और हमें सूचित किया गया है कि विचारण न्यायालय ने इसका संज्ञान लिया है। इसके अतिरिक्त, 17 अभियुक्त व्यक्तियों का नाम लिया गया है, 224 व्यक्तियों की पहचान गवाह के रूप में की गई है और भौतिक व डिजिटल दोनों तरह के व्यापक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं। इन कारकों से पता चलता है कि परीक्षण के निकट भविष्य में पूरा होने की संभावना नहीं है।
40. हमारी सुविचारित राय में, यद्यपि अपीलार्थी की गिरफ्तारी की प्रक्रिया वैधता और अनुपालन के लिए आवश्यक मानदंडों को पूरा करती है, एक विस्तारित अवधि के लिए लंबित मुकदमे के लिए निरंतर कारावास स्थापित कानूनी सिद्धांतों और अपीलार्थी के स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करेगा, जिसका पता हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 से लगाया जा सकता है। अपीलार्थी को इस न्यायालय द्वारा ई.डी. मामले में 10.05.2024 और 12.07.2024 पर अंतरिम जमानत दी गई है जो तथ्यों के एक ही सेट से उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त, सी.बी.आई. और ई.डी. दोनों मामलों में कई सह-अभियुक्तों को विचारण न्यायालय, उच्च न्यायालय और इस न्यायालय द्वारा अलग-अलग कार्यवाही में जमानत भी दी गई है।
41. जहाँ तक अपीलार्थी द्वारा मुकदमे के परिणाम को प्रभावित करने की आशंका का संबंध है ऐसा लगता है कि सी.बी.आई. के स्वभाव से संबंधित सभी साक्ष्य और सामग्री पहले से ही उनके पास है, जो अपीलार्थी द्वारा छेड़छाड़ की संभावना को नकारती है। इसी तरह,

अपीलार्थी की स्थिति और समाज में उनके मूल को देखते हुए, उनके देश से भागने की आशंका को ध्यान में रखने का कोई वैध कारण प्रतीत नहीं होता है। किसी भी मामले में, सी.बी.आई. की आशंकाओं को शांत करने के लिए, हम जमानत की सख्त शर्तें लगा सकते हैं। जहाँ तक अपीलार्थी के गवाहों को प्रभावित करने के संबंध में, इस बात पर जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसी किसी भी घटना की स्थिति में, यह जमानत की रियायत का दुरुपयोग होगा और इसके बाद आवश्यक परिणाम सामने आएंगे।

42. इसलिए, इन विस्तारित परिस्थितियों के आलोक में और पूर्वगामी विश्लेषण पर विचार करते हुए यह समाधान किया जा सकता है कि अपीलार्थी जमानत देने के लिए आवश्यक तीन शर्तों को पूरा करता है। हम उसी के अनुसार आदेश देते हैं।

ग. क्या आरोप-पत्र दायर करना परिस्थितियों में बदलाव है जो नियमित जमानत देने के लिए विचारण न्यायालय में निर्वासन की गारंटी देता है?

43. यह सच है कि आम तौर पर विचारण न्यायालय को आरोप पत्र दायर होने के बाद जमानत मांगने की प्रार्थना पर विचार करना चाहिए, क्योंकि वह सामग्री जो एक जांच प्राधिकरण प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है, वह निस्संदेह उस न्यायालय को (i) अपराध की गंभीरता; (ii) आवेदक की भागीदारी की डिग्री; (iii) गवाहों की पृष्ठभूमि और भेद्यता; (iv) गवाहों की संख्या के आधार पर मुकदमे के समापन के लिए अनुमानित समय सीमा; और (v) जमानत देने या अस्वीकार करने के सामाजिक प्रभाव के संबंध में *प्रथमदृष्टया* राय बनाने में सुविधा प्रदान करेगी। हालांकि, कोई साधक फॉर्मूला नहीं हो सकता है जो यह बताता है कि जमानत पर विचार से संबंधित प्रत्येक मामला आरोप-पत्र दायर

करने पर निर्भर होना चाहिए। वास्तव में, प्रत्येक मामले का मूल्यांकन उसके गुण-दोष के आधार पर किया जाना चाहिए, यह मानते हुए कि जमानत का निर्धारण करने के लिए कोई भी एक सूत्र मौजूद नहीं है।

44. इस प्रकार एक विचाराधीन कैदी को, आमतौर पर, पहले जमानत के लिए विचारण न्यायालय का रुख करना चाहिए क्योंकि यह प्रक्रिया न केवल आरोपी को प्रारंभिक राहत का अवसर प्रदान करती है बल्कि उच्च न्यायालय को एक द्वितीयक मार्ग के रूप में काम करने की भी अनुमति देती है यदि विचारण न्यायालय अपर्याप्त कारणों से जमानत देने से इनकार करती है। यह दृष्टिकोण अभियुक्त और अभियोजन पक्ष दोनों के लिए फायदेमंद है; यदि उचित विचार के बिना जमानत दी जाती है, तो अभियोजन पक्ष भी उच्च न्यायालय से सुधारात्मक उपायों की मांग कर सकता है।
45. हालाँकि, उच्च न्यायालयों को शुरू से ही इस प्रक्रियात्मक उपाय का पालन करना चाहिए। यदि कोई अभियुक्त विचारण न्यायालय से राहत मांगे बिना सीधे उच्च न्यायालय जाता है तो आमतौर पर उच्च न्यायालय के लिए उन्हें विचारण न्यायालय में पुनर्निर्देशित करना उचित होता है। फिर भी, यदि नोटिस के बाद महत्वपूर्ण देरी होती है तो बाद के चरण में मामले को विचारण न्यायालय में भेजना विवेकपूर्ण नहीं हो सकता है। जमानत व्यक्तिगत स्वतंत्रता से निकटता से जुड़ी होने के कारण, इस तरह के दावों पर केवल प्रक्रियात्मक बारीकियों पर न्यायालयों के बीच रहने के बजाय उनके गुण-दोष के आधार पर तुरंत निर्णय लिया जाना चाहिए।
46. हालाँकि, यह मुद्दा तत्काल मामले में कमोबेश विद्या सम्बन्धी है क्योंकि उच्च न्यायालय ने प्रारंभिक चरण में अपीलार्थी को विचारण

न्यायालय में नहीं भेजा था। चूंकि नोटिस जारी किया गया था और पक्षकारों को स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर सुना गया था इसलिए हम इस स्तर पर अपीलार्थी को विचारण न्यायालय में भेजना आवश्यक नहीं समझते हैं, भले ही आरोप-पत्र दायर होने से परिस्थितियों में बदलाव आया है।

निष्कर्ष:

47. इस प्रकार हम निम्नलिखित आदेश पारित करना उचित समझते हैं:

- i. गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती देने वाली आपराधिक अपील (वि.अनु.या. (आप.) सं. 10991/2024 से उत्पन्न) इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।
- ii. आपराधिक अपील (वि.अनु.या.(आप.) सं. 11023/2024 से उत्पन्न) की अनुमति है और उच्च न्यायालय के दिनांक 05.08.2024 के आक्षेपित निर्णय को उस हद तक अपास्त कर दिया गया है।
नतीजतन,
 - क. अपीलार्थी को सी.बी.आई. द्वारा थाना सी.बी.आई., ए.सी.बी. में दर्ज प्राथमिकी सं. आरसी0032022ए0053/2022 के संबंध में 10,00,000/- रुपए की राशि के लिए जमानत बांड के साथ इतनी ही राशि की दो प्रतिभूतियों प्रस्तुत करने पर विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।
 - ख. अपीलार्थी सी.बी.आई. मामले के गुणागुण पर कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करेगा क्योंकि यह विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन है। सार्वजनिक मंचों पर एक स्व-सेवारत कथा के

निर्माण की हाल की प्रवृत्ति को रोकने के लिए यह शर्त आवश्यक है;

ग. तथापि, यह अपीलार्थी को विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी सभी दलीलें उठाने से नहीं रोकेगा।

घ. इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक अपील सं. 2493/2024 शीर्ष *अरविंद केजरीवाल बनाम प्रवर्तन निदेशालय* में पारित दिनांक 10.05.2024 और 12.07.2024 के आदेशों के माध्यम से लगाए गए नियम और शर्तें वर्तमान मामले में यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू किए गए हैं।

ई. अपीलार्थी सुनवाई की तारीख प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा, जब तक कि छूट नहीं दी जाती; और

च. अपीलार्थी विचारण कार्यवाही के शीघ्र समापन के लिए विचारण न्यायालय के साथ पूरा सहयोग करेगा।

48. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, उपरोक्त शर्तों में निपटाए जाएंगे।

49. तदनुसार आदेश दिया।

न्या. उज्जवल भुयान

मैंने अपने सम्मानित वरिष्ठ सहयोगी न्यायमूर्ति सूर्यकांत के मसौदा निर्णय को पढ़ा है। मैं माननीय न्यायमूर्ति के निष्कर्ष और निर्देश से पूरी तरह सहमत हूं कि अपीलार्थी को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। हालाँकि, गिरफ्तारी की आवश्यकता और समय पर, मेरा एक निश्चित दृष्टिकोण है। इसलिए, मैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत की इस राय

से सहमत होते हुए कि अपीलार्थी को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए और साथ ही अपीलार्थी की गिरफ्तारी की आवश्यकता और समय के बिंदु पर एक अलग राय देना उचित समझता हूं।

2. अनुमति प्रदानित।

3. शुरुआत में, प्रासंगिक तिथियों और अभिलेख से प्राप्त उपस्थित तथ्यों का एक संक्षिप्त पाठ नोट किया जा सकता है।

3.1 सी.बी.आई. द्वारा भा.दं.सं. की धारा 477क और पी.सी. अधिनियम की धारा 7 के संग सहपठित धारा 120ख के तहत आर.सी. सं. 3032022ए0053 पर मामला दर्ज किया गया था। उपरोक्त मामला स्रोत जानकारी के साथ-साथ श्री प्रवीण कुमार राय, निदेशक, गृह मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त एक लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था। इस पत्र में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के उपराज्यपाल श्री विनय कुमार सक्सेना की दिनांक 20.07.2022 की शिकायत भी दी गई है। शिकायत में वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जी.एन.सी.टी.डी.) की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में अनियमितताओं और हेरफेर की जांच की मांग की गई थी। सटीक आरोप यह है कि आरोपी व्यक्तियों ने जानबूझकर वर्ष 2021-22 की आबकारी नीति में हेरफेर किया था, जिसके परिणामस्वरूप आरोपी व्यक्तियों जिन्हें “दक्षिण समूह” के नाम से जाना जाता है के द्वारा प्राप्त अवैध संतुष्टि के बदले शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को लाभ में वृद्धि हुई थी जो गोवा में आम आदमी पार्टी के चुनाव संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए था।

- 3.2 14.04.2023 पर, अपीलार्थी को दं.प्र.सं. की धारा 160 के तहत सीबीआई से 16.04.2023 पर उसके सामने पेश होने के लिए सम्मन प्राप्त हुआ। इसके अनुपालन में, अपीलार्थी 16.04.2023 पर सी.बी.आई. के समक्ष पेश हुआ। अपीलार्थी के अनुसार, सीबीआई ने उनसे लगभग 9 से 10 घंटे तक पूछताछ की।
- 3.3 सी.बी.आई. ने कुल चार आरोप-पत्र दायर किए जिनमें 17 लोगों को आरोपी बनाया गया था। मनीष सिसोदिया और कविता कल्वाकुंतला को अन्य लोगों के साथ आरोपी के रूप में नामित किया गया था। अपीलार्थी श्री अरविंद केजरीवाल को उक्त आरोप-पत्रों में अभियुक्त के रूप में नामित नहीं किया गया था। आरोप-पत्रों का सार यह है कि विचाराधीन उत्पाद शुल्क नीति आपराधिक साजिश का परिणाम थी जिसे शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं के एक गुट ने आरोपी व्यक्तियों को आर्थिक लाभ के बदले में उन्हें अनुचित लाभ सुनिश्चित करने के लिए रचा था। इस तरह की आपराधिक साजिश के परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ।
- 3.4 पाँचवाँ और अंतिम आरोप-पत्र सी.बी.आई. द्वारा 29.07.2024 पर दायर किया गया है जिसमें अपीलार्थी को अभियुक्त के रूप में नामित किया गया है।
4. प्रवर्तन निदेशालय या ईडी ने ईसीआईआर सं. एचआईयू-II/14/2022 पर 22.08.2022 को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2005 (पीएमएलए) के तहत जिन अपराधों के आधार पर सीबीआई का मामला दर्ज किया गया था। इस प्रकार, सी.बी.आई. मामले के तहत अपराध विधेय अपराध बन गए जिसके कारण ई.डी. द्वारा पी.एम.एल.ए. के तहत जांच की गई। ईडी ने 26.11.2022 पर पहला अभियोजन शिकायत दर्ज किया

जिसके संबंध में विशेष न्यायालय ने 20.12.2022 पर संज्ञान लिया। तब से ईडी ने सात पूरक अभियोजन शिकायतें दर्ज की हैं। 17.05.2024 पर दायर अंतिम पूरक अभियोजन शिकायत में, अपीलार्थी को अभियुक्त के रूप में नामित किया गया है।

- 4.1 ईडी के अनुसार, अपीलार्थी को उसकी जांच और बयान दर्ज करने के लिए पीएमएलए की धारा 50 के तहत कई नोटिस जारी किए गए थे लेकिन वह पेश होने और जांच में शामिल होने में विफल रहा। हालाँकि, अपीलार्थी के अनुसार, धारा 50 के तहत जारी किए गए नोटिस अवैध, विधि की दृष्टि से गलत और अमान्य थे।
5. तथापि, अपीलार्थी को ईडी द्वारा 21.03.2024 पर गिरफ्तार किया गया था। अपीलार्थी ने दं.प्र.सं. की धारा 482 के संग सहपठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका दायर करके उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी। हालाँकि, इसे उच्च न्यायालय द्वारा 09.04.2024 पर खारिज कर दिया गया था।
6. यह कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी ने पी.सी. अधिनियम की धारा 17क के तहत 23.04.2024 पर अनुमति दी जिसके बाद सी.बी.आई. ने सी.बी.आई. मामले में अपीलार्थी की भूमिका की जांच शुरू की। हालाँकि, यह उल्लेख नहीं है कि इस तरह की अनुमति कब मांगी गई थी।
7. जहाँ तक पी.एम.एल.ए. मामले में अपीलार्थी की गिरफ्तारी का संबंध है, अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय से इस न्यायालय में अपनी चुनौती पेश की। 10.05.2024 पर, इस न्यायालय ने चल रहे लोकसभा चुनावों को देखते हुए आपराधिक अपील सं. 2493/2024 में अपीलार्थी को 02.06.2024 तक अंतरिम जमानत दे दी। अंतरिम जमानत की अवधि

पूरी होने पर, अपीलार्थी ने आत्मसमर्पण कर दिया और उसे वापस हिरासत में ले लिया गया।

8. 20.06.2024 पर, अपीलार्थी को ईडी मामले में विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा नियमित जमानत दी गई थी। इस जमानत आदेश को ईडी द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई थी जिसने मौखिक उल्लेख पर 21.06.2024 को जमानत आदेश पर रोक लगा दी थी। ईडी मामले में अपीलार्थी की जमानत पर रोक लगाने का एक विस्तृत आदेश उच्च न्यायालय द्वारा केवल 25.06.2024 पर सुनाया गया था।
9. सी.बी.आई. ने अपीलार्थी की हिरासत की मांग की ताकि उससे पूछताछ की जा सके। दं.पर.सं. की धारा 41क के तहत इस संबंध में सीबीआई द्वारा दायर आवेदन को विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा 24.06.2024 पर अनुमति दी गई थी।
10. यह कहा गया है कि सी.बी.आई. ने तिहाड़ जेल में अपीलार्थी से 3 घंटे तक 25.06.2024 पर पूछताछ की लेकिन सी.बी.आई. के अनुसार, उन्होंने उनसे पूछे गए प्रश्नों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उनका जवाब टालमटोल वाला पाया गया।
11. लगभग उसी समय उच्च न्यायालय ने पी.एम.एल ए. मामले में अपीलार्थी की जमानत पर रोक लगा दी, सी. बी. आई. ने सी.बी.आई. मामले में अपीलार्थी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने के लिए विद्वान विशेष न्यायाधीश से अनुमति मांगी। 26.06.2024 पर विद्वान विशेष न्यायाधीश के समक्ष अपीलार्थी को पेश करने पर, अपीलार्थी को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया और विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा 29.06.2024 तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया। दिनांक 26.06.2024 के गिरफ्तारी ज्ञापन में सी.बी.आई. ने

कॉलम 7 में उल्लेख किया है कि उसने अपीलार्थी को गिरफ्तारी के आधार बताए थे। गिरफ्तारी के आधारों का उल्लेख नीचे किया गया है:

अब तक की जाँच के दौरान एकत्र किए गए सबूतों और उन तथ्यों का सामना करने के बाद भी वह जाँच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और सही तथ्यों को छिपा रहे हैं जो विशेष रूप से उनकी जानकारी में हैं और जाँच के उद्देश्य से उचित निष्कर्ष तक पहुँचने के लिए प्रासंगिक हैं। वह जानबूझकर जांच को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। वह गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं।

- 11.1 रिमांड आवेदन में, सी.बी.आई. ने अनुच्छेद 17 में उल्लेख किया कि अपीलार्थी से तिहाड़ जेल में 25.06.2024 पर पूछताछ की गई थी। पूछताछ के दौरान वह बचते रहे और असहयोग करते हुए साजिश में उनकी भूमिका के बारे में उनसे पूछे गए प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर देने में विफल रहे। सी.बी.आई. का उल्लेख नीचे किया गया है:

कि अरविंद केजरीवाल से तिहाड़ जेल में 25.06.2024 पर परिक्षण/पूछताछ की गई थी। उनसे पूछताछ के दौरान, वह टालमटोल करते रहे और असहयोग करते रहे, और साउथ ग्रुप के सह-अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा 100 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि की मांग के मामले में अपनी भूमिका के बारे में पूछे गए सवालों का संतोषजनक जवाब देने में विफल रहे जिसका उनके करीबी सहयोगी विजय नायर द्वारा आम आदमी पार्टी को स्वीकार करने और वितरित करने के साथ-साथ वर्ष 2021-22 के दौरान गोवा के विधानसभा चुनावों में प्राप्त

गलत तरीके से अर्जित धन का उपयोग आम आदमी पार्टी के चुनाव संबंधी खर्चों को पूरा करने के लिए किया गया। उन्होंने आगे अपनी भूमिका और आपराधिक साजिश के संबंध में अन्य सह-अभियुक्तों की भूमिका के बारे में टालमटोल जवाब दिए। उनके जवाब जांच के दौरान सी.बी.आई. द्वारा एकत्र किए गए मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत हैं। अपराध साबित करने वाले साक्ष्यों का सामना करने और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने के बावजूद, जो विशेष रूप से उनके ज्ञान में हैं, वह सच्चाई से तथ्यों का खुलासा नहीं कर रहे हैं। ये तथ्य मामले के न्यायसंगत निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए जांच के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक हैं।

11.2 29.06.2024 पर, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने अपीलार्थी को 12.07.2024 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

12. इस बीच इस न्यायालय द्वारा आपराधिक अपील सं. 2493/2024 की सुनवाई की गई। 12.07.2024 पर, एक विस्तृत निर्णय पारित किया गया था। इस न्यायालय के दो माननीय न्यायाधीशों की पीठ ने एक बड़ी पीठ द्वारा विचार के लिए कानून के निम्नलिखित तीन प्रश्नों को तैयार किया:

(क) क्या “गिरफ्तारी की जरूरत और आवश्यकता” पीएमएल अधिनियम की धारा 19(1) के संदर्भ में पारित गिरफ्तारी के आदेश को चुनौती देने के लिए एक अलग आधार है?

(ख) क्या “गिरफ्तारी की जरूरत और आवश्यकता” किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने के लिए औपचारिक मापदंडों की संतुष्टि को संदर्भित करती है या यह उक्त मामले के तथ्यों

और परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की आवश्यकता के संबंध में अन्य व्यक्तिगत आधारों और कारणों से संबंधित है?

(ग) यदि प्रश्न (क) और (ख) का उत्तर सकारात्मक दिया जाता है तो ऐसे कौन से मापदंड और तथ्य हैं जिन पर न्यायालय द्वारा चाहिए “गिरफ्तारी की जरूरत और आवश्यकता” के प्रश्न की जांच करते हुए विचार किया जाना चाहिए?

12.1 उपरोक्त संदर्भ देते हुए पीठ ने कहा कि जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार पवित्र है। अपीलार्थी को 90 दिनों से अधिक की कैद का सामना करना पड़ा था। एक बड़ी पीठ को संदर्भित उपरोक्त प्रश्नों पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता होगी। इसलिए, अपीलार्थी को ईसीआईआर सं. एच.आई.यू.-II/14/2022 दिनांक 22.08.2022 के संबंध में अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया गया था। उन्हीं शर्तों पर जो पहले 10.05.2024 पर अस्थायी जमानत देते समय लगाई गई थीं।

13. सी.बी.आई. ने 29.07.2024 पर पहली बार अपीलार्थी को अभियुक्त के रूप में नामित करते हुए अपना अंतिम आरोप-पत्र दायर किया।

14. अपीलार्थी ने सीबीआई मामले में नियमित जमानत की मांग करते हुए दं.प्र.सं. की धारा 439 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन सं. 2285/2024 दायर किया। 05.07.2024 पर, उच्च न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश ने नोटिस जारी किया। इसके बाद, 17.07.2024 पर अंतरिम जमानत पर दलीलें सुनी गईं। हालाँकि, मामले को 29.07.2024 को 03 बजे अपराहन पर फिर से सूचीबद्ध

करने का निर्देश दिया गया था। 29.07.2024 पर, दलीलें सुनी गईं और निर्णय सुरक्षित रखा गया।

- 14.1 सात दिन बाद 05.08.2024 पर निर्णय सुनाया गया। योग्यता के आधार पर जमानत आवेदन पर निर्णय लिए बिना, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को नियमित जमानत के लिए विशेष न्यायाधीश के न्यायालय से संपर्क करने की स्वतंत्रता देते हुए यह कहते हुए इसका निपटान कर दिया कि इस तरह की कार्यवाही अपीलार्थी के लिए अधिक फायदेमंद होगी।
15. ऊपर उल्लिखित तथ्यों के विवरण से यह देखा जाता है कि सी.बी.आई. ने अपना मामला आर.सी. सं. 3032022ए0053 दिनांक 17.08.2022 पर दर्ज किया था। सी.बी.आई. ने इस मामले में 17 लोगों को आरोपी बनाते हुए कुल चार आरोप-पत्र दायर किए थे। अपीलार्थी अरविंद केजरीवाल को उन आरोप-पत्रों में अभियुक्त के रूप में नामित नहीं किया गया था।
16. इस बीच, ईडी ने 22.08.2022 को पीएमएलए के तहत ईसीआईआर सं. एचआईयू-II/14/2022 दर्ज की। ईडी ने पीएमएलए के तहत सात शिकायतें दर्ज कीं। उपरोक्त शिकायतों में से किसी में भी, अपीलार्थी को अभियुक्त के रूप में नामित नहीं किया गया था। हालाँकि, अपीलार्थी को ईडी द्वारा पीएमएलए मामले में 21.03.2024 पर गिरफ्तार किया गया था।
17. 20.06.2024 पर, अपीलार्थी को ईडी मामले में विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा नियमित जमानत दी गई थी। मौखिक उल्लेख पर, इस जमानत आदेश पर उच्च न्यायालय द्वारा 21.06.2024 पर रोक लगा दी गई थी।

18. इसके बाद सी.बी.आई. ने सी.बी.आई. मामले में अपीलार्थी की हिरासत की मांग की, जिसे विशेष न्यायाधीश ने 24.06.2024 पर अनुमति दी।
19. अंत में, इस न्यायालय ने 12.07.2024 पर पीएमएलए मामले में अपीलार्थी को अंतरिम जमानत दे दी।
20. सी.बी.आई. ने 27.07.2024 पर सी.बी.आई. मामले में पाँचवाँ और अंतिम आरोप-पत्र दायर किया जिसमें अपीलार्थी को अभियुक्त के रूप में नामित किया गया है।
21. चूंकि ईडी द्वारा अपीलार्थी की गिरफ्तारी, विशेष न्यायाधीश द्वारा दी गई जमानत और पीएमएलए मामले में उच्च न्यायालय द्वारा जमानत पर रोक समानांतर कार्यवाही का विषय है, जहां अपीलार्थी को इस न्यायालय द्वारा अंतरिम जमानत दी गई है, इसलिए मैं उस पर टिप्पणी करने से बचूंगा। इसलिए, मैं इस राय को केवल दो पहलुओं तक सीमित रखूंगा: अपीलार्थी की गिरफ्तारी और उच्च न्यायालय का निर्णय।

सी.बी.आई. द्वारा अपीलार्थी की गिरफ्तारी: आवश्यकता और समय

22. जहाँ तक सी.बी.आई. द्वारा अपीलार्थी की गिरफ्तारी का संबंध है, यह जवाब देने से अधिक सवाल उठाता है। जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, सी.बी.आई. का मामला 17.08.2022 पर दर्ज किया गया था। ईडी द्वारा 21.03.2024 पर अपीलार्थी की गिरफ्तारी तक, सीबीआई ने अपीलार्थी को गिरफ्तार करने की आवश्यकता महसूस नहीं की थी हालांकि उसने लगभग एक साल पहले 16.04.2023 पर उससे पूछताछ की थी। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा ईडी मामले में अपीलार्थी को नियमित जमानत देने के बाद ही (जिस पर उच्च न्यायालय ने मौखिक उल्लेख पर रोक लगा दी थी) कि

सीबीआई सक्रिय हो गई और अपीलार्थी की अभिरक्षा की मांग की, जिसे विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा 26.06.2024 पर मंजूर किया गया था। यहां तक कि सी.बी.आई. द्वारा 26.06.2024 पर उसकी गिरफ्तारी की तारीख पर भी, अपीलार्थी को सी.बी.आई. द्वारा अभियुक्त के रूप में नामित नहीं किया गया था। केवल 29.07.2024 पर सी.बी.आई. द्वारा दायर अंतिम आरोप-पत्र में, अपीलार्थी को अभियुक्त के रूप में नामित किया गया है।

23. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि सी.बी.आई. ने अपीलार्थी को 17.08.2022 से 26.06.2024 यानी 22 महीनों से अधिक समय तक गिरफ्तार करने की जरूरत और आवश्यकता महसूस नहीं की। विशेष न्यायाधीश द्वारा ईडी मामले में अपीलार्थी को नियमित जमानत देने के बाद ही सीबीआई ने अपनी मशीनरी को सक्रिय किया और अपीलार्थी को हिरासत में लिया। सी.बी.आई. की ओर से इस तरह की कार्यवाही गिरफ्तारी के समय पर गंभीर सवालिया निशान लगाती है, न कि स्वयं गिरफ्तारी पर। 22 महीनों तक, सी.बी.आई. अपीलार्थी को गिरफ्तार नहीं करती है, लेकिन ईडी मामले में विशेष न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी को नियमित जमानत देने के बाद, सी.बी.आई. उसकी हिरासत की मांग करती है। इन परिस्थितियों में, यह विचार लिया जा सकता है कि सी.बी.आई. द्वारा इस तरह की गिरफ्तारी शायद केवल ईडी मामले में अपीलार्थी को दी गई जमानत को विफल करने के लिए थी।
24. जहाँ तक गिरफ्तारी के आधारों का संबंध है, मेरा विचार है कि वे अपीलार्थी की गिरफ्तारी को उचित ठहराने के लिए आवश्यकता की कसौटी को पूरा नहीं करेंगे और अब जब अपीलार्थी कारावास के बाद जमानत मांग रहे हैं तो वे भी उसे जमानत देने से इनकार करने के आधार नहीं हो सकते हैं। प्रत्यर्थी निश्चित रूप से गलत है जब वह

कहता है कि चूँकि अपीलार्थी अपने जवाब में टालमटोल कर रहा था, वह जांच में सहयोग नहीं कर रहा था, इसलिए उसे सही तरीके से गिरफ्तार किया गया था और अब उसे हिरासत में रखा जाना चाहिए। यह प्रस्ताव नहीं हो सकता है कि जब कोई आरोपी जांच एजेंसी द्वारा उससे पूछे गए प्रश्नों का उस तरीके से उत्तर देता है जिस तरह से जांच एजेंसी चाहती है कि आरोपी जवाब दे, तो इसका मतलब यह होगा कि आरोपी जांच में सहयोग कर रहा है। इसके अलावा, प्रत्यर्थी टालमटोल जवाब का हवाला देते हुए गिरफ्तारी और निरंतर हिरासत को उचित नहीं ठहरा सकता है।

25. हमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत मूल सिद्धांत को नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के लिए ऐसा संरक्षण न केवल उस साक्ष्य के संबंध में उपलब्ध है जो मुकदमे के दौरान न्यायालय में दिया जा सकता है बल्कि आरोपी के लिए पिछले चरण में भी उपलब्ध है यदि उसके खिलाफ कोई आरोप लगाया गया है जिसके परिणामस्वरूप सामान्य रूप से उसका अभियोजन हो सकता है। इस प्रकार, संरक्षण उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जिसके खिलाफ औपचारिक आरोप लगाया गया है हालांकि वास्तविक मुकदमा शुरू नहीं हुआ होगा और यदि ऐसा आरोप किसी अपराध के करने से संबंधित है जिसके परिणामस्वरूप सामान्य रूप से अभियोजन हो सकता है। अभियुक्त को चुप रहने का अधिकार है; उसे अपने आप के खिलाफ दोषारोपक बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। अभियुक्त की खामोशी से कोई प्रतिकूल निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। यदि यह स्थिति है, तो अपीलार्थी की गिरफ्तारी के लिए दिए गए

आधार पूरी तरह से असमर्थनीय होंगे। ऐसे आधारों पर, अपीलार्थी को सी.बी.आई. मामले में आगे हिरासत में रखना न्यायाधीश का उपहास होगा, विशेष रूप से तब जब उसे पहले ही पी.एम.एल.ए. के अधिक कड़े प्रावधानों के तहत आरोपों के उसी समूह पर जमानत दी जा चुकी है।

26. इसके अलावा, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने या गवाहों को प्रभावित करने की आशंका का जवाब इस न्यायालय द्वारा मनीष सिसोदिया के मामले में पहले ही निम्नलिखित तरीके से दिया जा चुका है:

57. जहां तक विद्वान अति.महा.सा. द्वारा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की संभावना के बारे में दी गई आशंका का संबंध है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि मामला काफी हद तक दस्तावेजी साक्ष्य पर निर्भर करता है जिसे अभियोजन पक्ष पहले ही जब्त कर चुका है। इसलिए सबूतों के साथ छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है। जहाँ तक गवाहों को प्रभावित करने के संबंध में चिंता का संबंध है, उक्त चिंता अपीलार्थी पर कठोर शर्तें लागू करके संबोधित की जा सकती है।

27. गिरफ्तारी की शक्ति एक बात है लेकिन गिरफ्तारी की आवश्यकता पूरी तरह से एक अलग बात है। सिर्फ इसलिए कि एक जांच एजेंसी के पास गिरफ्तार करने की शक्ति है, इसका मतलब यह नहीं है कि उसे ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहिए। जोगिंदर कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने जांच और गिरफ्तारी की परस्पर क्रिया की जांच की। राष्ट्रीय पुलिस आयोग की तीसरी रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए, इस न्यायालय ने घोषणा की है कि कोई गिरफ्तारी सिर्फ इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि पुलिस अधिकारियों के लिए ऐसा करना वैध है। गिरफ्तारी की शक्ति का होना

एक बात है लेकिन इसके प्रयोग का औचित्य बिल्कुल अलग है। यह निम्नानुसार आयोजित किया गया था:

20. गिरफ्तारी नहीं की जा सकती क्योंकि ऐसा करना पुलिस अधिकारी के लिए वैध है। गिरफ्तार करने की शक्ति का होना एक बात है। इसके प्रयोग का औचित्य बिल्कुल अलग है। पुलिस अधिकारी को ऐसा करने की अपनी शक्ति के अलावा गिरफ्तारी को उचित ठहराने में समर्थ होना चाहिए। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी और पुलिस लॉक-अप में हिरासत किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान को अक्षम्य नुकसान पहुंचा सकती है। किसी व्यक्ति के खिलाफ अपराध करने के मात्र आरोप पर नियमित तरीके से कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। एक पुलिस अधिकारी के लिए एक नागरिक के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा के हित में और शायद उसके अपने हित में यह विवेकपूर्ण होगा कि कुछ जांच के बाद उचित संतुष्टि के बिना कोई गिरफ्तारी नहीं की जानी चाहिए। शिकायत की वास्तविकता और ईमानदारी और व्यक्ति की संलिप्तता और गिरफ्तारी की आवश्यकता दोनों के बारे में एक उचित विश्वास के बारे में। किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित करना एक गंभीर मामला है। पुलिस आयोग की सिफारिशें केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के संवैधानिक सहवर्ती को दर्शाती हैं। एक व्यक्ति केवल एक अपराध में संलिप्तता के संदेह पर गिरफ्तारी के लिए उत्तरदायी नहीं है। गिरफ्तारी को प्रभावित करने वाले अधिकारी की राय में कुछ उचित औचित्य होना चाहिए कि ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक और उचित है। जघन्य अपराधों को छोड़कर, गिरफ्तारी से बचा जाना चाहिए यदि कोई पुलिस अधिकारी व्यक्ति को स्टेशन हाउस में उपस्थित होने

के लिए नोटिस जारी करता है और बिना अनुमति के स्टेशन नहीं छोड़ता है।

28. सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा बनाम राज्य (एन.सी.टी. दिल्ली) के मामले में, इस न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जाँच निष्पक्ष और प्रभावी होनी चाहिए। जाँच इस तरह से की जानी चाहिए ताकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत एक नागरिक के अधिकार और जाँच करने के लिए पुलिस की व्यापक शक्ति के बीच एक न्यायपूर्ण संतुलन बनाया जा सके। निष्पक्ष जांच और निष्पक्ष सुनवाई की अवधारणा भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अभियुक्त के मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए संगत है।
29. अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य के मामले में इस न्यायालय ने धारा 41 और 41क के प्रावधानों की जांच करते हुए कहा कि गिरफ्तारी अपमान लाती है, स्वतंत्रता से वंचित करती है और हमेशा के लिए घाव दे जाती है। इस न्यायालय ने जबरन गिरफ्तारी के खिलाफ पुलिस को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता पर जोर देते हुए पहले गिरफ्तारी करने और फिर शेष कार्यवाही के साथ आगे बढ़ने के रवैये की निंदा की। इस बात पर जोर देते हुए कि पुलिस अधिकारियों को आरोपी को अनावश्यक रूप से गिरफ्तार नहीं करना चाहिए और मजिस्ट्रेट को आकस्मिक और यांत्रिक रूप से हिरासत को अधिकृत नहीं करना चाहिए, इस न्यायालय ने निम्नानुसार टिप्पणी की:

5. गिरफ्तारी अपमान लाती है, स्वतंत्रता से वंचित करती है और हमेशा के लिए घाव करती है। विधि निर्धारकों के साथ-साथ पुलिस भी इसे जानती है और ऐसा लगता है कि पुलिस ने सबक नहीं सीखा है: जो पाठ दं.प्र.सं. में निहित और सन्निहित है।

आजादी के छह दशकों के बावजूद यह अपनी औपनिवेशिक छवि से बाहर नहीं आया है, इसे बड़े पैमाने पर उत्पीड़न, उत्पीड़न का एक उपकरण माना जाता है और निश्चित रूप से जनता का मित्र नहीं माना जाता है। गिरफ्तारी की प्रचंड शक्ति का प्रयोग करने में सावधानी बरतने की आवश्यकता पर न्यायालयों द्वारा बार-बार जोर दिया गया है लेकिन वांछित परिणाम नहीं मिला है। गिरफ्तार करने की शक्ति इसके अभिमान में बहुत योगदान देती है और साथ ही इसे रोकने में मजिस्ट्रेट की विफलता भी। यही नहीं, गिरफ्तारी की शक्ति पुलिस भ्रष्टाचार के आकर्षक स्रोतों में से एक है। पहले गिरफ्तार करने और फिर बाकी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ने का रवैया घृणित है। यह उन पुलिस अधिकारियों के लिए एक उपयोगी उपकरण बन गया है जिनमें संवेदनशीलता की कमी है या अप्रत्यक्ष उद्देश्य के साथ कार्य करते हैं।

30. फिर से मोहम्मद जुबैर बनाम राज्य (एन.सी.टी. दिल्ली) के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि गिरफ्तारी की शक्ति के होने को गिरफ्तारी की शक्ति के प्रयोग से अलग किया जाना चाहिए। गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग संयम से किया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने में न्यायालयों की भूमिका को दोहराया कि जांच का उपयोग उत्पीड़न के उपकरण के रूप में नहीं किया जाए। अर्नब रंजन गोस्वामी बनाम भारत संघ, में अपने पूर्व के निर्णय का उल्लेख करते हुए इस न्यायालय ने कहा कि न्यायालयों को स्पेक्ट्रम के दोनों छोरों तक जीवित रहना चाहिए: एक ओर आपराधिक कानून का

उचित प्रवर्तन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है और दूसरी ओर यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कानून लक्षित उत्पीड़न के लिए एक चाल न बने। न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे नागरिकों की स्वतंत्रता से वंचित होने के खिलाफ रक्षा की पहली पंक्ति बने रहें। एक दिन के लिए भी स्वतंत्रता से वंचित रहना एक दिन से अत्यधिक प्रतीत होता है।

31. जब सी.बी.आई. ने 22 महीनों तक अपीलार्थी को गिरफ्तार करने की आवश्यकता महसूस नहीं की तो मैं यह समझने में विफल रहा कि सी.बी.आई. ने अपीलार्थी को गिरफ्तार करने के लिए कितना आग्रह और जल्दबाजी की थी, जब वह ईडी मामले में रिहाई के कगार पर था। अपीलार्थी के खिलाफ मूल आरोप भा.दं.सं. की धारा 477क के तहत है जो खातों के जालीकरण से संबंधित है और यदि दोषी ठहराया जाता है तो कारावास की सजा होती है, एक ऐसी अवधि के लिए जो सात साल तक बढ़ सकती है या जुर्माने के साथ या दोनों के साथ। अपीलार्थी पर पी.सी. अधिनियम की धारा 7 के तहत भी आरोप लगाया गया है जो एक लोक सेवक को रिश्वत देने से संबंधित अपराध से संबंधित है। यदि दोषी ठहराया जाता है तो यहाँ सजा की अवधि तीन साल से कम नहीं होगी लेकिन सात साल तक बढ़ सकती है और जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा। दं.प्र.सं. की धारा 41(1)(ख)(ii) और धारा 41क की प्रयोज्यता के शब्दार्थ में प्रवेश किए बिना, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा अर्नेश कुमार (पूर्वोक्त) में समझाया गया है, सी.बी.आई. द्वारा अपीलार्थी की गिरफ्तारी का समय काफी संदिग्ध है।

32. सी.बी.आई. देश की प्रमुख जाँच एजेंसी है। यह जनहित में है कि सी.बी.आई. को न केवल बोर्ड से ऊपर होना चाहिए बल्कि ऐसा प्रतीत भी होना चाहिए। विधि का शासन, जो हमारे संवैधानिक गणराज्य की

एक बुनियादी विशेषता है, यह आदेश देता है कि जांच निष्पक्ष, पारदर्शी और न्यायसंगत होनी चाहिए। इस न्यायालय ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 और 21 के तहत निष्पक्ष जांच एक आरोपी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। जाँच न केवल निष्पक्ष होनी चाहिए बल्कि वैसी जान भी पड़नी चाहिए। इस धारणा को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि जांच निष्पक्ष रूप से नहीं की गई थी और गिरफ्तारी खुलेआम और पक्षपातपूर्ण तरीके से की गई थी।

33. कानून के शासन द्वारा शासित एक कार्यात्मक लोकतंत्र में, धारणा मायने रखती है। सीज़र की पत्नी की तरह, एक जाँच एजेंसी बोर्ड से ऊपर होनी चाहिए। बहुत पहले नहीं, इस न्यायालय ने सी.बी.आई. की तुलना पिंजरे के तोते से की थी। यह जरूरी है कि सी.बी.आई. इस धारणा को दूर करे कि यह पिंजरे में बंद तोता है। बल्कि, धारणा एक बिना पिंजरे वाले तोते की होनी चाहिए।

आक्षेपित आदेश

34. मुझे अब उच्च न्यायालय के आक्षेपित निर्णय और आदेश पर विचार करने दें, जिसके तहत अपीलार्थी की जमानत याचिका का निपटान किया गया था। अपीलार्थी ने सी.बी.आई. मामले में दं.प्र.सं. की धारा 439 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन सं. 2285/2024 दायर की थी जहाँ उसे 26.06.2024 पर हिरासत में लिया गया था। 05.07.2024 पर, उच्च न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश ने तर्क के लिए 17.07.2024 तय करते हुए नोटिस जारी किया। 17.07.2024 पर, अंतरिम जमानत पर दलीलें सुनी गईं; इसके बाद, मामले को 29.07.2024 पर 03 बजे अपराहन पर सूचीबद्ध करने का

निर्देश दिया गया। 29.07.2024 पर, दलीलें सुनी गईं और निर्णय सुरक्षित रखा गया। अंत में, 05.08.2024 पर निर्णय सुनाया गया, जिसका प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है:

5. यद्यपि इस प्रस्ताव के बारे में कोई विवाद नहीं है कि जिला न्यायालयों और इस न्यायालय की समवर्ती क्षेत्राधिकारिता है, जैसा कि अपीलार्थी की ओर से भरोसा किए गए निर्णयों में अभिनिर्धारित किया गया है, लेकिन साथ ही यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बार-बार अभिनिर्धारित किया गया है कि पक्ष को पहले पहली बार न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए।

6. वर्तमान मामले में, तथ्यों की जटिलता और जाल और अभिलेख पर सामग्री पर विचार करते हुए यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वह जमानत का हकदार है, इस कथित साजिश में अपीलार्थी की भूमिका को व्यापक रूप से निर्धारित करना अपीलार्थी के लिए अधिक फायदेमंद है। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि जब इस न्यायालय के समक्ष जमानत आवेदन दायर किया गया था तो आरोप-पत्र दायर नहीं किया गया था। लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में, जब आरोप-पत्र पहले ही विद्वान विशेष न्यायाधीश के समक्ष दायर किया जा चुका है तो यह अपीलार्थी के लाभ में होगा कि वह पहले सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से संपर्क करे।

7. इन परिस्थितियों में, इस जमानत आवेदन का निपटान अपीलार्थी को नियमित जमानत के लिए

विद्वान विशेष न्यायाधीश से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ किया जाता है।

- 34.1 यह देखने के बाद कि यह अपीलार्थी के लाभ के लिए अधिक होगा यदि अपीलार्थी जमानत के लिए पहले विद्वान विशेष न्यायाधीश से संपर्क करता है इसलिए जब आरोप-पत्र दायर किया जाता है तो उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को विद्वान विशेष न्यायाधीश के मंच पर भेज दिया हालांकि विशेष न्यायाधीश के न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास मामले में समवर्ती अधिकार क्षेत्र है।
35. यदि वास्तव में उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को विशेष न्यायाधीश के न्यायालय के मंच पर भेजने के बारे में सोचा होता, तो वह सीमा पर ही ऐसा कर सकता था। नोटिस जारी करने के बाद, पक्षकारगण को विस्तार से सुनने के बाद और लगभग एक सप्ताह के लिए निर्णय सुरक्षित रखने के बाद, उपरोक्त आदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया था। यद्यपि यह एक ऐसी भाषा में लिखी गई है जो अपीलार्थी के पक्ष में प्रतीत होती है, व्यावहारिक रूप से इसका परिणाम केवल अपीलार्थी की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करते हुए अधिक लंबी अवधि के लिए कारावास को बढ़ाने में हुआ है।
36. कुछ इसी तरह की परिस्थितियों में, इस न्यायालय ने *कनुमुरी रघुरामा कृष्णम राजू बनाम ए.पी. राज्य* में यह देखा है कि दं.प्र.सं. की धारा 439 के तहत विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र समवर्ती है और यह अभिनिर्धारित किया कि केवल इसलिए कि अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय का दरवाजा खटखटाये बिना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था, इसका मतलब यह नहीं होगा कि उच्च न्यायालय अपीलार्थी की जमानत याचिका पर विचार नहीं कर सकता था। उस मामले के तथ्यों में, इस न्यायालय ने

राय दी कि उच्च न्यायालय को योग्यता के आधार पर अपीलार्थी की जमानत याचिका पर विचार करना चाहिए था और उसी पर निर्णय लेना चाहिए था। तथापि, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उच्च न्यायालय के आदेश के पारित होने के बाद से बहुत समय बीत चुका था और अपीलार्थी की बाद की चिकित्सा रिपोर्टें थीं, इस न्यायालय ने अपीलार्थी को उच्च न्यायालय में वापस नहीं भेजा बल्कि गुणागुण के आधार पर अपीलार्थी की जमानत याचिका पर विचार किया। इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया कि:

14. दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 439 के तहत विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र समवर्ती है और केवल इसलिए कि अपीलार्थी द्वारा विचारण न्यायालय का दरवाजा खटखटाये बिना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था, इसका मतलब यह नहीं होगा कि उच्च न्यायालय अपीलार्थी की जमानत याचिका पर विचार नहीं कर सकता था। इस प्रकार, हमारे विचार में, उच्च न्यायालय को गुणागुण के आधार पर अपीलार्थी की जमानत याचिका पर विचार करना चाहिए था और उसी पर निर्णय लेना चाहिए था। हालाँकि, चूंकि उच्च न्यायालय ने गुणागुण के आधार पर मामले पर विचार नहीं किया है और उच्च न्यायालय के आदेश के पारित होने के बाद से बहुत अधिक समय बीत चुका है, क्योंकि अब अपीलार्थी की दो चिकित्सा रिपोर्टें हैं, एक उच्च न्यायालय के निर्देश पर सरकारी अस्पताल द्वारा और दूसरी सेना अस्पताल द्वारा इस न्यायालय के निर्देश पर, हम गुणागुण के आधार पर अपीलार्थी की जमानत याचिका पर विचार करना सही और उचित समझते हैं।

37. श्री राजू, भारत के विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन करते हुए आवेगपूर्ण रूप से तर्क दिया कि अपीलार्थी को पहले दं.प्र.सं. की धारा 439 के तहत जमानत के लिए विचारण न्यायालय का दरवाजा खटखटाना होगा। विशेष न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास समवर्ती अधिकारिता है। अपीलार्थी को कोई विशेषाधिकार नहीं दिखाया या प्रदान किया जाना चाहिए। मुझे डर है कि इस तरह के निवेदन को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में, मैं *कनुमुरी रघुरामा कृष्णम राजू* के मामले में इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सम्मानजनक रूप से सहमत हूँ। इसके अलावा, जब अपीलार्थी को पी.एम.एल.ए. के अधिक कठोर प्रावधानों के तहत जमानत दी गई है तो उसी विधेय अपराध के संबंध में सी.बी.आई. द्वारा अपीलार्थी को आगे और हिरासत में रखना पूरी तरह से असमर्थनीय हो गया है। ऐसी परिस्थितियों में, पी.एम.एल.ए. मामले में पहले से ही उसी मार्ग को पार करने के बाद अपीलार्थी को विचारण न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय और फिर इस विचारण न्यायालय में जमानत की कार्यवाही के नए दौर के लिए जाने के लिए कहना या अपीलार्थी को खारिज करना और कुछ नहीं बल्कि न्याय के उद्देश्य पर न्याय की प्रक्रिया की जीत का मामला होगा। इस संबंध में, *मनीष सिसोदिया बनाम सी.बी.आई.* आपराधिक अपील सं. 3296/2024, 09.08.2024 पर निर्णित के मामले में इस न्यायालय की टिप्पणियों का संदर्भ लेना उपयुक्त होगा:

32. इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि इस न्यायालय ने अपीलार्थी को आरोप-पत्र दायर करने के बाद अपनी प्रार्थना को फिर से प्रवर्तित करने की स्वतंत्रता दी थी। अब, अपीलार्थी को फिर से विचारण न्यायालय और उसके बाद उच्च न्यायालय और उसके बाद इस विचारण न्यायालय से

संपर्क करने के लिए खारिज करना, हमारे विचार में, उसे “सांप और सीढ़ी” का खेल खेलने के लिए मजबूर करना होगा। विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने पहले ही एक विचार लिया है और हमारे विचार में अपीलार्थी को फिर से विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय में खारिज करना एक खाली औपचारिकता होगी। एक नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता से संबंधित मामले में, जो संविधान द्वारा गारंटीकृत सबसे पवित्र अधिकारों में से एक है, एक नागरिक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेजा जा सकता है।

- 37.1 मनीष सिसोदिया उसी सीबीआई मामले और ईडी मामले में सह-आरोपी हैं। उनकी दूसरी जमानत याचिका को विचारण न्यायालय ने लगभग तीन महीने का समय लेने के बाद 30.04.2024 पर खारिज कर दिया था। जब सिसोदिया ने जमानत के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया तो उसे भी 21.05.2024 पर खारिज कर दिया गया। इसके बाद मनीष सिसोदिया ने दूसरे दौर में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। 04.06.2024 पर हुई सुनवाई में, भारत के लिए विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने न्यायालय के समक्ष एक बयान दिया कि जांच समाप्त हो जाएगी और ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में 03.07.2024 पर या उससे पहले अंतिम शिकायत के साथ-साथ आरोप-पत्र दायर किया जाएगा। विद्वान सॉलिसिटर जनरल के उपरोक्त बयान के आधार पर, इस न्यायालय ने श्री मनीष सिसोदिया की दो आपराधिक अपीलों का निपटान किया और उन्हें अंतिम शिकायत और आरोप-पत्र दायर करने के बाद अपनी याचिका को नए सिरे से शुरू करने की स्वतंत्रता दी। जब श्री सिसोदिया ने शिकायत और आरोप-पत्र दायर होने के बाद जमानत के लिए इस विचारण

न्यायालय का दरवाजा खटखटाया तो ईडी के साथ-साथ सीबीआई की ओर से पेश हुए भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री राजू ने तर्क दिया कि श्री सिसोदिया को नियमित जमानत के लिए फिर से विचारण न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए क्योंकि मध्यावधि में शिकायत और आरोप-पत्र दायर किए थे। श्री राजू के इस तरह के निवेदन को इस न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इस न्यायालय के दिनांक 04.05.2024 के पूर्व आदेश को स्वीकार करते हुए, मनीष सिसोदिया के मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

33 यह न्याय का उपहास होगा कि उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति देने के लिए अपनी प्रार्थना को पुनर्जीवित करने के लिए अपीलार्थी के अधिकार को संरक्षित करने वाले सावधानीपूर्वक आदेश का अर्थ यह है कि उसे विचारण न्यायालय में भेज दिया जाना चाहिए। एक यादगार सूक्ति है कि प्रक्रिया न्याय की दासी है और न कि न्याय की मालकिन जो हमारे कानों में गूंजती है।

38. *गुडीकांती नरसिम्हुलु बनाम लोक अभियोजक* में न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया था कि जमानत को सजा के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए। जमानत की आवश्यकता केवल मुकदमे में कैदी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए है। मनीष सिसोदिया के मामले में इस न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय का उल्लेख किया और उस पर भरोसा किया और इस हितकारी सिद्धांत को दोहराया कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। इस न्यायालय ने कहा है कि सीधे-सादे ओपन एंड शट मामलों में भी विचारण न्यायालयों और उच्च न्यायालयों द्वारा

जमानत नहीं दी जा रही है। यह निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया गया है कि:

53. न्यायालय ने आगे कहा कि समय के साथ, विचरण न्यायालय और उच्च न्यायालय कानून के एक बहुत ही व्यवस्थित सिद्धांत को भूल गए हैं कि जमानत को सजा के रूप में नहीं रोका जाना चाहिए। अपने अनुभव से हम कह सकते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि विचरण न्यायालय और उच्च न्यायालय जमानत देने के मामलों में सुरक्षित रहने का प्रयास करते हैं। यह सिद्धांत कि जमानत एक नियम है और इनकार एक अपवाद है का कभी-कभी गलत रूप से पालन किया जाता है। सीधे ओपन एंड शट मामलों में भी जमानत न दिए जाने के कारण, यह न्यायालय बड़ी संख्या में जमानत याचिकाओं से भरी हुई है जिससे विचाराधीनता भारी रूप से बढ़ जाती है। यह सही समय है कि विचारण न्यायालयों और उच्च न्यायालयों को इस सिद्धांत को स्वीकार करना चाहिए कि “जमानत नियम है और जेल अपवाद है”।

39. जमानत न्यायशास्त्र एक सभ्य आपराधिक न्याय प्रणाली का एक पहलू है। एक अभियुक्त तब तक निर्दोष होता है जब तक कि सम्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए एक सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी साबित नहीं हो जाता। अतः निर्दोष होने का अनुमान लगाया जाता है। इसलिए, यह न्यायालय बार-बार इस हितकारी सिद्धांत को दोहराता रहा है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है। इस प्रकार, सभी स्तरों पर न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मुकदमे की ओर ले जाने वाली और उसे शामिल करने वाली प्रक्रिया ही सजा न बने।

40. इस न्यायालय ने बार-बार इस बात पर जोर दिया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पवित्र है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करने की आवश्यकता के प्रति पर्याप्त रूप से सतर्क रहें जो हमारे संविधान के तहत एक पोषित अधिकार है।
41. यह स्थिति होने के कारण और ऊपर की गई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए, मेरा विचार है कि सी.बी.आई. द्वारा अपीलार्थी की देर से गिरफ्तारी अनुचित है और इस तरह की गिरफ्तारी के बाद सी.बी.आई. मामले में अपीलार्थी की निरंतर कैद असमर्थनीय हो गई है।
42. इन परिस्थितियों में, रि.या. सं. 1939/2024 में उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांकित 05.08.2024 को उपरोक्त संदर्भ में स्पष्ट किया गया है जबकि जमानत आवेदन सं. 2285/2024 में उच्च न्यायालय के दिनांक 05.08.2024 के निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया गया है।
43. नतीजतन, यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी को सी.बी.आई. मामले अर्थात् आर.सी. सं. 0032022ए0053 दिनांक 17.08.2022 में तुरंत जमानत पर रिहा किया जाएगा। अब तक जमानत की शर्तों का संबंध है, इस न्यायालय ने ईडी मामले में अर्थात् आपराधिक अपील सं. 2493/2024 में कई नियम और शर्तें लागू की हैं जिनमें खंड (ख) और (ग) आदेश दिनांकित 10.05.2024 और 12.07.2024 में शामिल हैं, जिन्हें माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी द्वारा दिए गए निर्णय के अनुच्छेद 47 (ii) के खंड (घ) में शामिल किया गया है। हालाँकि मुझे खंड (ख) और (ग) पर गंभीर आपत्ति है जो अपीलार्थी को मुख्यमंत्री के कार्यालय और दिल्ली सचिवालय में प्रवेश करने के साथ-साथ फाइलों पर

हस्ताक्षर करने से रोकता है, न्यायिक अनुशासन को ध्यान में रखते हुए, मैं इस स्तर पर अपने विचार व्यक्त करने से बचूंगा क्योंकि वे शर्तें इस न्यायालय की दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा अलग ईडी मामले में लगाई गई हैं।

44. दोनों अपीलों का तदनुसार निपटान किया जाता है।

मामले का परिणाम: अपीलों का निपटान किया गया।

* द्वारा तैयार किए गए हेडनोट: अंकित ज्ञान

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Disclaimer: The translated judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose for all practical and official purposes, the English version of the judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.